असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

31 मार्च, 2016

षोडश विधान सभा **वृहस्पतिवार,तिथि 31 मार्च,2016 ई०**

द्वितीय सत्र **11 चैत्र, 1938 (शक)**

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब शपथ की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी ।

शपथ ग्रहण

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शपथ-पत्र की प्रति आपके सामने हैं । जब आप पुकारे जायं तब आपको उसे पढ़ना है । सामने मेज पर एक रजिस्टर है, उसमें आपको हस्ताक्षर करना है । अब सभा सचिव नाम पुकारेंगे ।

सभा सचिव : निर्वाचन क्षेत्र संख्या-178, मोकामा, माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार सिंह।

निर्वाचन क्षेत्र संख्या	माननीय सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान
178	श्री अनंत कुमार सिंह	शपथ ।

अध्यक्ष : अब शपथ ग्रहण की कार्रवाई समाप्त की जाती है । प्रश्नोत्तर काल ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या : 4 (श्री सुबोध राय)

श्री महेश्वर हजारी : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि श्रावणी मेला एवं अन्य अवसरों पर गंगा के घाटों पर बांस, बैरिकेटिंग एवं चेतावनी बोर्ड, बैनर लगाई जाती हैं। सुरक्षा नौका, नाविक, तैराक, लाईफ जैकेट आदि की समुचित व्यवस्था नगर

परिषद्, सुल्तानगंज के द्वारा की जाती है तथा जिला स्तर पर एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 टीम की प्रतिनियुक्ति की जाती है ।

3. वर्णित घाट के लिए रीभर फ्रंट डेवलपमेंट का विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि रूपये 9872.00 लाख (अनठानवे करोड़ बहत्तर लाख रूपये) मात्र है । प्राक्कलन में नदी तट के किनारे प्रोमेनेड (पाथवे/रास्ता) के विकास, घाटों के जीर्णोद्धार, एक नये विद्युत शवदाह गृह के निर्माण, घाटों का सौदर्यीकरण, सार्वजनिक शौचालय के निर्माण एवं स्नानागार (कपड़े बदलने के स्थान) सार्वजनिक प्लेटफॉर्म का निर्माण,जलीय जीवों एवं वनस्पति के संरक्षण हेतु विभिन्न जैवीय उपायों का प्रस्ताव है । प्राक्कलन की स्वीकृति हेतु विभागीय पत्रांक 3378 दिनांक 30.07.2015 के द्वारा भारत सरकार को भेज दिया गया है जिसकी स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है । योजना की स्वीकृति होने के पश्चात् कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा ।

श्री सुबोध राय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि श्रावणी मेला के समय में वे व्यवस्था करते हैं और नगर परिषद् के द्वारा यह व्यवस्था करायी जाती है । एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0,बैरिकेटिंग वगैरह सब की व्यवस्था होती है । लेकिन मेरे प्रश्न में है कि प्रतिवर्ष श्रावणी मेला वह तो सिर्फ एक महीना का होता है, जिसमें लाखों कांवरियों का जमघट होता है, आवागमन होता है । लेकिन विभिन्न धार्मिक अवसरों पर जो सालोभर चलता रहता है, हजारो-हजार महिलायें वहां स्नान करने के लिये आती हैं और विभिन्न धार्मिक कार्यो में उनकी सहभागिता होती है तो उनकी सुरक्षा का सवाल है और उस वक्त जब कोई नदी में डूब जाता है तो न उस वक्त एस0डी0आर0एफ0 रहता है, न एन0डी0आर0एफ0 रहता है तो मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार सालोभर घाट को सुरक्षित रखने के लिये जबतक कि डी0पी0आर0 जो इन्होंने भारत सरकार को 98.72 करोड़ रूपये का भेजा है तो जबतक उसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हो जाता है तो क्या तबतक आप घाट की सुरक्षा के लिये सरकार क्या ठोस व्यवस्था करना चाहती है ? दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है कि इन्होंने स्वीकृति के लिये जो पत्र भेजा है भारत सरकार को क्या उसकी प्रति हमको भी उपलब्ध करा देंगे और उसके बारे में तत्काल, चूंकि पत्र भेजने के कई महीने हो गये तो उसका रीमाईन्डर भी भेजने की ये कोशिश करेंगे ?

श्री महेश्वर हजारी : अध्यक्ष महोदय, सुल्तानगंज नगर निकाय के डी0पी0आर0 सर्वप्रथम तैयार करके नवामि गंगे प्रोग्राम के अन्तर्गत एन0एम0जी0सी0 को समर्पित की गयी है । आई0 टी0 रूड़की ने अपने सुझाव दिये थे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने सिर्फ दो बातें जानने की इच्छा व्यक्त की है । पहला यह कि इस बीच में वहां पर सुरक्षा हेतु जो भी एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 टीम की व्यवस्था आप मेला के दिनों में करते हैं, माननीय सदस्य का कहना है कि सालों भर वह स्थिति रहती है, तो वह एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 टीम की व्यवस्था,जब तक केन्द्र से स्वीकृति नहीं आ जाती है, तब तक के लिये सरकार करना चाहती है कि नहीं? एक बात तो यह पूछा । दूसरी बात कि केन्द्र को आपने जो पत्र लिखा है, उसकी प्रति माननीय सदस्य को चाहिए । दो ही बात तो इन्होंने पूछा है ।

श्री महेश्वर हजारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वहां के सांसद भी रह चुके हैं, वरिष्ठ माननीय सदस्य भी हैं । महोदय, हमने तो अपने जवाब में कहा ही है कि वहां पर जब मेला लगता है तो सारी व्यवस्थाओं के संबंध में हमने बता दी है । जहां तक पत्र की बात है, पत्र मेरे पास उपलब्ध है, मैं इस पत्र की प्रति सर को उपलब्ध करा देता हूं और जो बातें कही है उस पर हम गंभीरता से वहां के जिला समाहर्त्ता से प्रतिवेदन मंगा लेंगे ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे ही सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पर यह प्रश्न रूका था ।

अध्यक्ष : आपके सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पर यह प्रश्न रूका था तो आज आप के सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाय ।

श्री सदानन्द सिंह : जी हां सर । यह हम जानना चाहते हैं, माननीय सदस्य के माध्यम से, आपके द्वारा पुनः दो बातें दोहराई गयी, उस में एक प्रश्न का जवाब नहीं आया । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ श्रावण में ही वह व्यवस्था रहेगी । महोदय, निश्चित तौर पर प्रत्येक दिन हजारो-हजार की संख्या में वहां श्रद्धालुगण आते हैं और स्नान करके पैदल या वाहन से जाते हैं देवघर और बासुकीनाथ । तो माननीय सदस्य जी ने कहा स्थायी व्यवस्था के लिये उस पर माननीय मंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, सरकार को इसको देखना चाहिए । अगर आादमी वहां नहाते हैं, दुर्घटना की संभावना है तो आपकी एस0डी0आर0एफ0 की

टुकड़ी जहां भी रहती है, उसके नजदीक स्टेशन बनाकर, आवश्यकतानुसार वहां पर एस0डी0आर0एफ0 की सेवा उपलब्ध करानी चाहिए ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है,आपको भी अंदाज है। दो-तीन सवाल इसमें उठ रहे हैं । एक प्रश्न के संबंध में ठीक ही कहा कि उसका कोई जवाब नहीं आया। यह श्रावणी मेला अब केवल एक माह का नहीं है । यह धारणा पुरानी है । एक महीना वहां पर सर्वाधिक भीड़ रहती है । वहां लोग जाते हैं, यह सही है । लेकिन अब यहां बारह महीने जाते हैं और कई-कई महीने तो लोग वहां से कांवर लेकर जाते हैं,एक एक महीना नहीं, कई महीने जाते हैं और इनकी व्यवस्था वहां पर केवल एक महीना के लिए होती है, जब श्रावण का महीना शुरू होता है । माननीय प्रश्नकर्त्ता का प्रश्न है वह यह है कि उस एक महीना के अलावा बाकी महीने में जो श्रद्धालुगण स्नान करने के लिये जाते हैं उनको भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

(क्रमश :)

टर्न-2/सत्येन्द्र/31-3-16 .

श्री नन्दकिशोर यादव(क्रमश:): उसकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या विचार करते हैं इसका कोई जवाब नहीं आया है। दूसरा हम कहना चाहते हैं, इन्होंने जो कहा है कि नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत एक प्राक्कलन बनाकर भेजा है 98 करोड़ 72 लाख का तो क्या यह बात सही है कि प्राक्कलन ठीक नहीं होने के कारण कुछ क्वैरी किया गया है भारत सरकार द्वारा और इसीलिए इसकी स्वीकृति नहीं मिली। इन दोनों का जवाब चाहिए।

श्री महेश्वर हजारी: महोदय,हमने साफ साफ शब्दों में यहां बताया कि आई0आई0रूढ़की ने अपना सुझाव दिया था उसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर भी डी0पी0आर0 के एप्रुवल के लिए डी0पी0आर0 रिभ्यू कॉल का गठन किया गया था। ये दोनों ही सुझावों को डी0पी0आर0 में सम्मिलित करते हुए पुन: पत्रांक बी0जी0सी0एम0एस02015/2/16 -3378 दिनांक 30-7-15 द्वारा समर्पित किया गया था।

श्री नन्दकिशोर यादव: मैं तो वही कह रहा हूँ महोदय, कुछ क्वैरी किया गया था..

अध्यक्ष: वह तो सरकार ने भेज दिया है।

श्री नन्दकिशोर यादवः दूसरा महोदय, इस श्रावण मेला का महत्व बिहार के लिए कितना है यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। महोदय,इसी कारण आपको ध्यान में होगा जो पूर्ववर्त्ती एन0डी0ए0 की सरकार थी उस सरकार ने श्रावण मेला में लोग नंगे पाव जाते हैं बाबाधाम जल चढाने के लिए उसके लिए हमलोगों ने एक नये पथ के निर्माण का काम किया था राज्य फंड से किया था भारत सरकार की योजना से नहीं किया था तो जिस प्रकार से एन0डी0ए0 की सरकार ने पैदल कांबरियों के लिए एक काबंरिया पथ का निर्माण का काम राज्य फंड से किया था, क्या सरकार वहां स्नान करने वाले के लिए उसी प्रकार से उन गंगा घाटों पर स्थान करने वाले काबंरिया पूजा करने वालों के लिए राज्य सरकार अपने फंड से उसका निर्माण कराना चाहती है?

श्री महेश्वर हजारीः अध्यक्ष महोदय,हमारे महागठबंधन की सरकार और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी किसी के भरोसे नहीं जीते हैं जो हमने घोषणा की है वह बनेगी। हर हाल में बनेगी चाहे वो स्टेट प्लान से करना हो या जिस प्लान से हो, बनेगी।

श्री नन्दकिशोर यादवः महोदय,कब तक, अगले वित्तीय वर्ष में काम शुरू करायेंगे क्या?

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 1302(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)</u>

श्री महेश्वर हजारीः अध्यक्ष महोदय,(क)उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय राज्यादेश संख्या- 68 दिनांक 19-11-14 एवं आवंटन आदेश संख्या-78 दिनांक 19-11-14 द्वारा नवीनगर पंचायत में बस पड़ाव निर्माण हेतु 1 करोड़ 99 लाख 94 हजार रू0 मात्र आवंटित की गयी है। वर्णित बस पड़ाव का निर्माण प्रक्रियाधीन है। बस पड़ाव निर्माण हेतु बुडको द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कार्यादेश दिया जा चुका है। प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जा चुका है। बस पड़ाव निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु बुडको के तकनीकी टीम एवं संवेदक द्वारा स्थल का ले आउट करा लिया गया है। कार्य शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय,मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अगले वित्तीय वर्ष में इस कार्य को पूरा करा देंगे?

श्री महेश्वर हजारीः जब ले आऊट हो गया है, कार्य प्रारम्भ हो रहा है तो समय पर यह पूर्ण होगा।

तारांकित प्रश्न संख्या-1614(श्री निरंजन कुमार मेहता)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा: अध्यक्ष महोदय(क)उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख)आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। प्रासंगिक योजना में 80 प्रतिशत पाईप बिछाये गये हैं। प्रखंड उदाकिशुनगंज से आगे परिसर से सटे नयी सड़क स्टेट हाईवे बनने के कारण लगभग 2700 मीटर मुख्य मेन पाईप ही क्षतिग्रस्त हो गया है एवं सड़क के काफी अन्दर चला गया है। इस कारण जल मीनार से पाईप में जलापूर्त्ति नहीं हो पा रही है। वर्त्तमान में जल मीनार से मात्र प्रखंड परिसर में ही चार अदद जल स्तम्भ द्वारा आंशिक जलापूर्त्ति की जा रही है। उक्त क्षतिग्रस्त पाईप 2700 मीटर मेन पाईप को बिछाने हेतु प्राक्कलन बनाने का निर्देश क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिया गया है।

(ग)-उक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री निरंजन कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वर्ष 2000 से ही जल मीनार बना हुआ है। यह प्रखंड परिसर कैम्पस में बना हुआ है और वहां प्रखंड कार्यालय, थाना, अनुमंडल कार्यालय, जेल भवन, न्यायालय सब चालू है। बहुत बड़ा मार्केट है, अनुमंडल है, हेडक्वार्टर है इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि जो बचा हुआ है क्षतिग्रस्त हुआ है उसे पूरा कराने का संचालन कराने की व्यवस्था की जाय।

अध्यक्ष: ठीक है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2480(श्री रामदेव राय)

श्री राम विचार राय: 1-अस्वीकारात्मक है। डिपो के तेल टैंकलोरी के गलत नापी की शिकायत न तो तेल कम्पनियों द्वारा और न ही उपभोक्ता द्वारा प्राप्त हुआ है।

2-अस्वीकारात्मक है। टैंकलोरी का मापी विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत बने विधिक माप विज्ञान(सामान्य) नियमावली 2011 के अनुरूप किया जाता है। वस्तुस्थिति यह है कि माह सितम्बर 2015 में एक टैंकलोरी संख्या बी0आर0 24जी0 9081 का अंशाकन निरीक्षक माप तौल, दानापुर अतिरिक्त के द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र संख्या 212790 दिनांक 4-9-2015 द्वारा किया गया। इसी टैंकलोरी (क्षमता) 12 हजार लीटर के स्वामी द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पुन: अंशाकन करने का अनुरोध किया गया जिसके आलोक में निरीक्षक,माप तौल, मुजप्फरपुर (पूर्वी) द्वारा

उनके यहां सत्यापन पत्र संख्या- 121899 दिनांक 16-3-2016 द्वारा अंशाकन किया गया। विधिक माप विज्ञान(सामान्य) नियमावली 2011 के अनुसार डीप लाईन प्रूफ लाईन डेटम प्लेट की ऊंचाई एवं डेड स्टॉक का अंशाकन किया जाता है। विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली 2011 के 9वीं (क) अनुसूची के कंडिका 5(ख) के अनुसार यान टैंक कम्पार्टमेंट के लिए अधिकतम गलती कम्पार्टमेंट के चिन्हांकित धारिका से 0.05 प्रतिशत अधिक होगी। दोनों सत्यापन प्रमाण-पत्र के अनुसार संबंधित टैंकलोरी के डीप एक समान है। डेड स्टॉक में कुल 2 लीटर के अन्तर का कारण निकासी भाल्व निकासी पाईप में कचरा तथा निकासी भाल्व का समतल नहीं रहना संबंधित निरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है जो कि अधिकतम अनुज्ञेय सीमा के अन्दर है एवं इसके तेल वितरण में कोई अन्तर नहीं आता है।

श्री रामदेव राय: महोदय,मंत्री महोदय स्वयं स्वीकार किये हैं माप तौल विज्ञान प्रवर्त्तन अधिनियम 2009 और 2014 के अन्दर क्या किसी भी डिपो के के0जी0 मीटरों की जांच और सत्यापन करना अनिवार्य है या नहीं है- एक, दूसरा मुजफ्फरपुर डिपो के द्वारा विगत 2006 से ही इसका सत्यापन कराया गया है या नहीं? यदि कराया गया है तो 9 लाख रू0 राजस्व की हानि मुजफ्फरपुर डिपो को है। क्या इसकी जांच मंत्री महोदय अपने अधीनस्थ किसी मापतौल के वरीय पदाधिकारी नियंत्रक या उप नियंत्रक के जरिये कराकर इसका सत्यापन करना चाहेंगे?

श्री राम विचार राय: अध्यक्ष महोदय,मैंने अपने उत्तर साफ कहा है परन्तु माननीय सदस्य वरीय सदस्य है और इन्होंने जांच की मांग की है तो मैं इसकी जांच वरीय पदाधिकारी से करा दूंगा।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2481(श्री मो0 नेमतुल्लाह)

श्री राम विचार राय: महोदय,उत्तर अस्वीकारात्मक है।

मीठापुर,पटना में कोई पोटैटो (आलू) विकास फार्म नहीं है। बाईपास सड़क के दक्षिण भाग में अवस्थित कृषि प्रक्षेत्र,मीठापुर पटना में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान कार्यरत है,जहां कृषि अनुसंधान के कार्य किये जाते हैं।(क्रमश:)

टर्न-3/मधुप/31.3.16

...क्रमशः..

श्री राम विचार राय : जगदेव पथ, पटना में अवस्थित पोटैटो आलू विकास फर्म में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली (आई0सी0ए0आर0) भारत सरकार के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन कार्यरत है जहाँ आलू के प्रजनन, बीज उत्पादन एवं अनुसंधान के कार्यक्रम उक्त संस्थान द्वारा किया जा रहा है । सीवान में बदरूद्दीन हाता नाम का कोई पोटैटो आलू विकास फर्म नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि सीवान में बिदुरती हाता नाम से बीज गुणन प्रक्षेत्र पूर्व में था, जिसमें वर्त्तमान में जेल, पुलिस लाईन, एफ0सी0आई0 गोदाम एवं कृषि विभाग के जिला कृषि कार्यालय, जिला उद्यान कार्यालय, भूमि संरक्षण कार्यालय, पौधा संरक्षण कार्यालय, अनुमंडल कृषि कार्यालय एवं आत्मा कार्यालय के भवन का निर्माण हो चुका है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि वहाँ जेल बन गया है और मीठापुर में बस स्टैंड हो गया है, तो उसका अल्टरनेटिव कुछ व्यवस्था करें । अभी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ग्रीन रिवोल्यूशन से आगे बढ़कर रेनबो रिवोल्यूशन हो रहा है, तो इस तरह की व्यवस्था होना चाहिये कि यह विलुप्त नहीं हो, अच्छी-अच्छी आलू की किस्में और गन्ना की किस्में भी होनी चाहिये। इसलिये उसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिये ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 2482 (श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन)</u>

श्री मदन सहनी : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है । खाद्यानों का विचलन न हो इसलिये जी0पी0एस0 युक्त वाहनों से पर्यपेक्षण कराने की व्यवस्था की गई है जिसका पर्यवेक्षण मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष के माध्यम से 24 घंटे किया जा रहा है।

समस्तीपुर शहर अनुमंडल के साथ-साथ पूरे जिले में पी0डी0एस0 के खाद्यानों का परिवहन जी0पी0एस0 युक्त वाहनों के माध्यम से किया जा रहा है।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : माननीय मंत्री महोदय ने बताया, हम चाहते हैं कि विचलन रोकने के लिए सरकार ने जो जी0पी0एस0 सिस्टम लागू किया था और सरकार का दावा है कि जी0पी0एस0 सिस्टम से है, तो उसको सार्वजनिक कर दिया जाता ताकि जन-प्रतिनिधि और आम जनता में भी जो है कि जी0पी0एस0

सिस्टम उन परिवहनों में नहीं है, कैसे हम संतुष्ट हो पायेंगे ? संतुष्ट करने का सरकार का क्या विचार है ?

अध्यक्ष : जी0पी0एस0 सिस्टम का जो मैकेनिज्म है, वह तो उसी से गाइड होता है न ! उसमें आप जो चाहते हैं वह बता दीजिये ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : सदर अनुमंडल में हम यह जानते हैं कि वहाँ जो वाहन उपयोग हो रहा है, उसमें जी0पी0एस0 सिस्टम नहीं है ।

अध्यक्ष : यह आप कहिये, मंत्री जी इसकी जाँच करायेंगे ! माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि समस्तीपुर सदर अनुमंडल में जो वाहन इसके लिए यूज हो रहा है उसमें जी0पी0एस0 सिस्टम नहीं है । आप इसकी जाँच करवा लीजिये ।

श्री मदन सहनी : ठीक है ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : किससे जाँच करायेंगे ? जिला पदाधिकारी से इसकी जाँच करा लें ।

श्री मदन सहनी : जिला पदाधिकारी से ही करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2483 (श्री चन्द्रसेन प्रसाद)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिला के एकंगरसराय प्रखंड के एकंगरसराय ग्रामीण पाईप जलापूर्त्ति योजना की स्वीकृति वर्ष 2006-07 में दी गई है । इस योजना में नलकूप, जल मीनार एवं पाईप-लाईन बिछाकर जलापूर्त्ति की जा रही है । परन्तु इस योजना के अन्तर्गत मेन रोड में पेय जलापूर्त्ति के लिए पाईप का बिछाव केवल पूरब तरफ ही है । पूरब तरफ से पश्चिम तरफ सड़क पार कर कुछ लोगों को घरेलू जल संयोजन दिया गया है। सड़क के पश्चिम तरफ एवं एकंगरसराय बाजार से सटे गाँव, टोला जहाँ पाईप-लाईन नहीं बिछाया गया है, के लिए पाईप बिछाने हेतु सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी को शीघ्र प्राक्कलन तैयार कर भेजने हेतु निर्देश दिया गया है ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : महोदय, इस बात की जानकारी हिलसा एक्ज्यूकिटिव इंजीनियर हमको दिये थे लेकिन जब हम बुलाते हैं तो कहते हैं कि हो जायेगा । हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि पाँच वर्ष पहले से एक तरफ की जनता पानी पी रही है और दूसरे तरफ की जनता उसको देखने का

काम कर रही है, हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि कबतक यह काम पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा : महोदय, मैंने कहा कि इसका सर्वेक्षण कराकर प्राक्कलन बनाने के लिए निर्देश दे दिया गया है । मैं माननीय विधायक जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द यह काम पूरा हो जायेगा और दोनों तरफ के लोग पानी पी सकेंगे ।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, उसी अनुमंडल का मामला है, मरदन बिगहा, मिर्जापुर, दोनों जगह जल मीनार बनकर तैयार है....

अध्यक्ष : कहाँ एकंगरसराय से मिर्जापुर चले गये !

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : यही हालत वहाँ भी है, उसी अनुमंडल का मामला है, मरदन बिगहा और मिर्जापुर दोनों उसी अनुमंडल का मामला है, वहाँ भी बनकर तैयार है, जलापूर्त्ति नहीं की जा रही है और एक जो परवलपुर है, वहाँ के लोगों को भी जलापूर्त्ति नहीं हो रही है । यह तीनों वहाँ से जुड़ा हुआ मामला है - मरदन बिगहा का, मिर्जापुर का और परवलपुर का । इसपर भी सरकार कबतक कार्रवाई करेगी, इसको भी देखवाने की कृपा करें ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, माननीय सदस्य के जो प्रश्न हैं, हर घर में नल से पानी मिले, उससे संबंधित विषय है । माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा किया है कि प्रथम वित्तीय वर्ष में वे 10 प्रतिशत घरों में नल से पानी उपलब्ध करायेंगे, द्वितीय वित्तीय वर्ष में 15 प्रतिशत घरों में नल से पानी उपलब्ध करायेंगे और बाकी के तीन वित्तीय वर्ष में बाकी शेष बचे 25-25 प्रतिशत घरों में नल से पानी उपलब्ध करायेंगे ।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि नालंदा जिले के एकंगरसराय के प्रश्नगत स्थान पर किस वित्तीय वर्ष में आप हर घर में नल से पानी उपलब्ध करायेंगे ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा : महोदय, जहाँ का प्रश्न है, उसके बारे में मैं अभी बताना चाहता हूँ..

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपने जवाब में बताया है कि आप इसका इस्टीमेट बनवा रहे हैं और आपकी योजना भी है । जो अगली योजना होगी उसमें प्राथमिकता देकर अगले वित्तीय वर्ष में करवा दीजियेगा ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा : निश्चित रूप से हो जायेगा ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, इन्होंने अपने पूरे पॉच साल की कार्य योजना की घोषणा की है अखबारों में । मैं पूछना चाहता हूँ कि नालंदा जिला के एकंगरसराय के प्रश्नगत स्थान पर किस वित्तीय वर्ष में नल से पानी उपलब्ध करा देंगे ?

अध्यक्ष : कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में करवा देंगे ।

श्री राजीव नन्दन : महोदय....

अध्यक्ष : आपका एकंगरसराय से है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं है, तो कैसे पूछियेगा ! आप नन्द किशोर बाबू से सीखे नहीं, कुछ भी पूछे लेकिन घूमाकर एकंगरसराय ले गये । आप ले जाइयेगा तो पूछिये ।

श्री राजीव नन्दन : महोदय, पिछले दिन माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था इसी सदन में कि 15 दिनों में हम गुरूआ, गुरारू और परैया में पानी उपलब्ध करा देंगे, तो क्या उसी तरह से एकंगरसराय में भी पानी उपलब्ध हो जायेगा ? हमारा तो अभी तक नहीं हुआ है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2484 (श्री सरोज यादव)

श्री मदन सहनी : महोदय, 1- अस्वीकारात्मक है । भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा, कोइलवर एवं आरा प्रखंड में किरासन तेल प्रत्येक माह अद्यतन वितरण किया जा रहा है। राशन जनवरी माह का वितरण किया जा रहा है । मुख्य परिवहन एवं हथालन अभिकर्त्ता तथा सहायक प्रबंधकों पर प्राथमिकी दर्ज हो जाने के कारण पी0डी0एस0 गोदाम बन्द रहा, जिसके कारण उठाव बाधित रहा ।

2- अस्वीकारात्मक है । सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा किरासन तेल निर्धारित सरकारी दरें बड़हरा, कोइलवर एवं आरा प्रखंड का क्रमशः 16.17 रू0, 16.05 रू0 एवं 16.17 रू0 प्रति लीटर की दर से वितरण किया जाता है।

टर्न-4/आजाद/31.03.2016

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रति माह बांटा जाता है मगर मेरे पास हर

गांव से कुछ दबंग टाईप के जनवितरण प्रणाली के दुकानदार हैं, जो गरीब–गुरबा लोग हैं, उनको जनवितरण प्रणाली के दुकानदार एक महीना का तेल वितरण या राशन देते हैं और चार–पॉच महीना का साईन कराते हैं और कहते हैं कि नहीं सुनियेगा तो जाईए आपको नहीं देंगे । यही नहीं इनके एम0ओ0 के द्वारा, हमारे जो बड़हरा, आरा, कोईलवर के एम0ओ0 हैं, उन्हीं से हम रेट लिये हैं, सरकारी रेट है 16.60 रू0 है और 22 रू0 प्रति लीटर किरासन तेल का रेट लिया जाता है । दूसरी तरफ 2 रू0 किलो है गेहूँ और 3 रू0 किलो है चावल .....

अध्यक्ष : सरोज जी, आप प्रश्न पूछिए न । अगर वह स्थिति है तो आप क्या चाहते हैं ?

श्री सरोज यादव : हम सर, यही चाहते हैं कि जो भी सरकारी रेट है, उस हिसाब से जनवितरण प्रणली के दुकानदार बांटे, चूँकि यह गरीब–गुरबा के लिए योजना चलायी गयी है । इसकी जॉच होनी चाहिए और जो दोषी जनवितरण प्रणाली के दुकानदार हैं, उनपर कार्रवाई की जाय और दूसरी बात जॉच कमिटी बनायी जाय और यही नहीं कुछ ऐसे डिलर हैं जो कि 2रू0, 3रू0 के बदले 4 रू0 प्रति किलो लेते हैं गेहूँ और चावल का रेट और जबकि सरकार का 2रू0 एवं 3रू0 रेट है । तो माननीय मंत्री जी हमें बताये, हम आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या गरीब–गुरबा का इसी तरह से पैसा जाता रहेगा ?

अध्यक्ष : सरोज जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इनकी जानकारी में दिया जाता है, अगर आपकी जानकारी में नहीं दिया जाता है, आपने कुछ पी0डी0एस0 डीलरों की विशेष रूप से चर्चा की है, आप उसकी सूचना सरकार को दीजिए, सरकार उसकी जॉच करायेगी और दोषियों पर कार्रवाई करेगी ।

श्री सरोज यादव : सर, मैंने भोजपुर के जिला पदाधिकारी को लिखित सूचना दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ?

अध्यक्ष : आप दीजिए, सरकार कार्रवाई करेगी ।

श्री सरोज यादव : ठीक है सर ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–2485(श्री लाल बाबू राम)</u>

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा : महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सकरा प्रखंड के कटेसर पंचायत की आबादी 7601 है । वर्तमान में पंचायत में 56 अदद चापाकल चालू है, जिससे जलापूर्त्ति की जा रही है तथा विभागीय मापदंड के अनुसार पर्याप्त है । इसी प्रकार गौरिहाट पंचायत की आबादी 11110 है ।

वर्तमान में उक्त पंचायत में 70 अदद चापाकल चालू है, जिससे जलापूर्त्ति की जा रही है तथा विभागीय मापदंड के अनुसार पर्याप्त है । इसके अतिरिक्त महोदय इन्होंने जलमीनार निर्माण कराने की आवश्यकता बतायी है । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार की जो प्राथमिकता है और 7 निश्चय में हमने पहले ही कह दिया है कि अब हम पाईप लाईन के जरिए सारे गांव को पेयजल उपलब्ध करायेंगे और आने वाले दिनों में स्वाभाविक रूप से ये जहां चाहते हैं, वह स्वाभाविक रूप से उस गांव को भी टेकअप किया जायेगा और तमाम जगह पूरे बिहार में पाईप लाईन के माध्यम से जलापूर्त्ति की जायेगी, यह हमलोगों का निश्चय है।

श्री लाल बाबू राम : महोदय, उक्त पंचायत में सरकार कब तक जलमीनार निर्माण कराने का विचार रखती है, यह तो स्पष्ट कर दे ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा : महोदय, मैंने कहा कि वहां अभी चापाकल के माध्यम से जलापूर्त्ति की जा रही है लेकिन पाईप लाईन से जलापूर्त्ति की व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष में जो हमारी योजना है पूरे बिहार में, सम्पूर्ण राज्य में जब हम शुरू करेंगे तो स्वाभाविक रूप से बिहार के तमाम गांव तक धीरे-धीरे वह पाईप लाईन के माध्यम से जल पहुँच जायेगा .....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बिहार के तमाम गांव में करियेगा ही, माननीय सदस्य जिस गांव की बात कर रहे हैं, उसमें प्राथमिकता से करा दीजियेगा और यह भी स्पष्ट कर दीजिए कि उसमें जलमीनार होगा कि नहीं होगा, उसमें जलमीनार नहीं न होगा ?

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा : महोदय, अब जलमीनार बनाने का कनसेप्ट समाप्त हो गया है।

अध्यक्ष : यह आप बता दीजिए न, वे बार-बार जलमीनार के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा : महोदय, आगे जो निर्माण होगा, वह ग्राऊन्ड लेवल के पाईप के जरिए ही हमलोग जलापूर्त्ति करेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2486(श्री दिनकर राम)</u>

अध्यक्ष : आज लगता है कि मोकामा के माननीय चुने हुए विधायक ने शपथ ली है, दिनकर बाबू ने उनसे पहले यह सवाल पूछा होगा । इसीलिए हमको लगा कि सीतामढ़ी से मोकामा का प्रश्न आया है । हमको लगा कि वहां से चुने हुए

विधायक ने आज शपथ ली है न, उसके पहले ये अपना दायित्व निभा रहे होंगे?

श्री मदन सहनी : अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

पटना जिलान्तर्गत मोकामा प्रखंड के जिन डीलरों के नाम से निर्गत एस0ई0ओ0 के विरूद्ध खाद्यान्न की आपूर्त्ति नहीं की जा सकी है । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उन डीलरों के एस0ई0ओ0 की तीनों प्रति प्राप्त होने पर उनकी राशि वापस कर दी गई है ।

2. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

मोकामा प्रखंड के 8 जनवितरण प्रणली विक्रेताओं को अप्राप्त खाद्यान्न के विरूद्ध राशि भुगतान की गई है । साथ ही 20 जनवितरण प्रणाली के द्वारा वर्तमान में राशि वापस करने हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया गया है । संबंधित डीलरों की एस0ई0ओ0 की प्रति जाँच कर भुगतान हेतु कार्रवाई की जा रही है।

3. स्वीकारात्मक है ।

लंबित भंडार के एस0ई0ओ0 की तीनों प्रति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है । एस0ई0ओ0 की तीनों प्रति प्राप्त होते ही वापस कर दी जायेगी ।

श्री दिनकर राम : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो जमा किया गया राशि डीलरों को, अनाज सड़ रहा है, गरीब,अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग अन्न के अभाव में इधर-उधर भटक रहा है तो क्या मंत्री जी उन लोगों को गरीब तबका, अत्यंत पिछड़ा, दलित, महादलित को अनाज दिलाना चाहते हैं और नहीं तो डीलर को राशि सूद के साथ लौटाने का विचार रखते हैं?

श्री मदन सहनी : अध्यक्ष महोदय, इसकी हम जाँच करा लेते हैं ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, प्रश्नकर्त्ता ने केवल मोकामा के विषय में यह प्रश्न पूछा है लेकिन यह गंभीर विषय है, सरकार ने अपना निर्णय घोषित किया है कि गरीबों को अनाज देने का जनवितरण प्रणाली के दुकानों के माध्यम से, जी0पी0एस0 सिस्टम लगा रहे हैं, क्या-क्या लगा रहे हैं, बहुत सारी घोषणा सरकार ने की है लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ जो स्थिति पैदा हुई है इस प्रश्न के माध्यम से, क्या यह बात सही है कि जनवितरण प्रणाली के जो दुकानदार हैं, उन्होंने फरवरी, मार्च तक का पैसा जमा कर दिया है लेकिन

उनको अभी तक नवम्बर तक का ही गोदाम से राशन उपलब्ध हुआ है, क्या यह सही है ?

श्री मदन सहनी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमने बताया कि मोकामा में जॉंच होने की वजह से वहां हजारों क्वींटल अनाज पकड़े गये थे और वहां का गोदाम सील हुआ था, जिसके वजह से यह प्रक्रिया बाधित हुई है । इसपर विभागीय बैठक करके सुचारू रूप से चलाने के लिए हमलोग प्रयासरत हैं और वह काम अब तेजी से होने जा रहा है । जिन जनवितरण प्रणाली विक्रेता का राशि जमा है, उसको हमलोग तुरंत लौटाने जा रहे हैं ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, मैं राशि लौटाने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं महोदय यह कह रहा हूँ कि जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों के माध्यम से गरीबों को अनाज मिलना है। जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा पैसा जमा कर दिया जाता है, मार्च तक का पैसा जमा है लेकिन अनाज उनको अभी तक केवल नवम्बर तक ही मिला है, यह जो 3-4 महीना का अनाज का जो बैकलॉग है, यह अगर राशन दुकानदारों को नहीं मिलेगा तो गरीब अनाज से वंचित हो जायेंगे, उनके बारे में जवाब चाहता हूँ महोदय ? पूरे बिहार का मामला है, 4-4 महीना का पैसा जमा है दुकानदार का, आप उसको अनाज नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है, बैकलॉग है, उसके बारे में सरकार का जवाब चाहिए महोदय । गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है, सरकार के गोदाम में अनाज पड़ा हुआ है, इसका जवाब चाहिए महोदय ।

(व्यवधान)

श्री मदन सहनी : अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ हमने मोकामा का जवाब दिया है । हमने जो अभी इस प्रश्न का जवाब दिया है, वह मोकामा से संबंधित है । जहां तक माननीय सदस्यों का सवाल उठ रहा है पूरे बिहार का, तो पूरे बिहार में प्रत्येक महीना हमलोग राशन-किरासन मुहैया कराते हैं, कहीं से भी इस तरह का कोई शिकायत नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, मैं चुनौती देता हूँ । पूरे बिहार के अन्दर यह स्थिति है, माननीय मंत्री जी को मालूम नहीं है, मंत्री जी को जानकारी नहीं है, 4-4 महीना का बैकलॉग है महोदय, आपके इलाके में भी बैकलॉग है महोदय,

आपको भी लोगों ने शिकायत किया है । 4-4 महीना का बैकलॉग है, गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है ।

टर्न-5/अंजनी/दि0 31.03.16

(व्यवधान)

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, यह विषय राजनीति का नहीं है और मैंने इस नाते प्रश्न भी नहीं किया है । महोदय, मैंने सवाल इसलिए किया है कि गरीबों को अनाज देने के नाम पर पैसा जमा करता है दूकानदार, शायद मंत्री महोदय को पूरी जानकारी नहीं है, चार महीने का बैकलोग चल रहा है । मैं चाहता हूँ कि आप इस संबंध में स्वयं पहल कीजिए और गरीबों को हर महीने अनाज मिले, इसके लिए मेरा आग्रह होगा कि आप एक विधान सभा की कमिटी बना दीजिए ताकि पूरे मामले का निष्पादन हो जाय और हर महीने गरीबों को अनाज मिले । जब जी0पी0एस0 सिस्टम के माध्यम से अनाज पहुंचाने की व्यवस्था सरकार ने घोषणा किया है तो फिर क्यों चार महीने का विलम्ब हो रहा है ? इसके बारे में मेरा आग्रह है कि विधान सभा की कमिटी बना दीजिए और पूरे मामले को देखवाइए ताकि गरीबों को समय पर अनाज मिल सके।

श्री मदन सहनी : महोदय, मैंने पहले ही बताया कि मोकामा छोड़कर, चूंकि वहां जांच हुआ है....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जो माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की है, उसके परिप्रेक्ष्य में एक तो मोकामा की बात है, आप उसको देख लीजिए लेकिन पूरे राज्य में जैसी कि शिकायतें आ रही है कि अगर कहीं पी0डी0एस0 के डीलर ड्राफ्ट या पैसा जमा करते हैं, तीन-तीन महीने का बैकलॉग हो जाता है तो स्वभाविक रूप से अगर अनाज नहीं उठता है तो गरीबों को अनाज नहीं मिलेगा । आप अगर कह रहे हैं कि कहीं का बैकलॉग नहीं है तो सरकार निश्चित रूप से इसको सख्ती से देखे और जब पैसा जमा होता है तो हर महीने डीलरों तक अनाज पहुंच जाय, यह सुनिश्चित सरकार को अवश्य कराना चाहिए ।

तारांकित प्रश्न सं0–2487(श्रीमती पूर्णिमा यादव)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिला के थाली बाजार की कुल आबादी 1,649 है, जिसके लिए सात अद्द चापाकल कार्यरत है, जिससे लोगों को पेय जल उपलब्ध कराया जा रहा है, जो विभागीय मानक के अनुरूप है । थाली बाजार एवं निकटवर्त्ती टोलों में अवस्थित 3400 आबादी को फोलोराइड मुक्त जल उपलब्ध कराने के लिए जलापूर्त्ति योजना का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, जिसकी स्वीकृति के उपरान्त योजना का कार्यान्वयन शीघ्र करने का लक्ष्य है ।

श्रीमती पूर्णिमा यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि पाईप लाईन से जलापूर्त्ति कराने का कबतक विचार रखते हैं, वैसे तो चापाकल से जलापूर्त्ति किया ही जा रहा है लेकिन पाईप लाईन से कबतक कराना चाहते हैं, यह बतायेंगे ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा : महोदय, प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, अगले वित्तीय वर्ष में यह चालू करा दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0–2488(श्री सुबोध राय)

श्री मदन मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, 1– उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2– वर्त्तमान में पहाड़ की जमीन काटने का कार्य बंद है ।

3– उपर्युक्त पहाड़ की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अतिक्रमण वाद संख्या–2/15–16 चलाकर अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है ।

श्री सुबोध राय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पहाड़ की कटाई हो रही है और अतिक्रमण भी किया गया है । लेकिन अतिक्रमणकारियों से पहाड़ की जमीन को मुक्त कराने के लिए सरकार ने जो वाद किया है, वह कब किया और उसपर अभीतक क्या कार्रवाई हुई है, मैं जानना चाहता हूँ ?

अध्यक्ष : वाद की संख्या तो उन्होंने बतायी–2/15–16 तो जो संख्या से लगता है वह वर्ष 2015 में मार्च–अप्रील–मई में हुआ होगा, माननीय मंत्री जी ।

श्री मदन मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, वाद संख्या तो है ही लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने पहाड़ की कटाई करके घर भी बनाया है, सरकार की मंशा है कि उसका घर भी तोड़ दिया जाय और उसका जो खर्च आयेगा, वह सरकार भी उससे वसूलेगी और अब पहाड़ की कटाई नहीं होगी, यह मैं उनको आश्वस्त करता हूँ ।

श्री सुबोध राय : कबतक किया जायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य सिर्फ यह चाहते हैं कि इसका त्वरित निष्पादन हो जाय, जो वाद है, यही चाहते हैं न आप ।

श्री मदन मोहन झा : हो जायेगा महोदय ।

श्री सुबोध राय : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-2489(श्री आफाक आलम)

श्री मदन मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि कसबा अंचल में अमीन का एक पद रिक्त है, जलालगंज अंचल के अमीन को सप्ताह में दो दिन प्रतिनियुक्त किया गया है । राज्य के विभिन्न जिलों में अमीनों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

श्री आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, वहां अमीन की कमी के वजह से किसानों को काफी परेशानी हो रही है और अमीन नहीं रहने से लोगों को काफी दिक्कत हो रहा है और जमीन का भी विवाद बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि अमीन का वहां पर परमानेंट नियुक्ति किया जाय ताकि वहां के किसान एवं लोगों को दिक्कत न हो, इसलिए मंत्री महोदय कबतक करायेंगे, यह आश्वासन दें ।

श्री मदन मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि अमीन का सचमुच में कमी है, एक बार प्रक्रिया हुई थी, जो केन्सिल हो गया तो सरकार जल्द-से-जल्द अमीन बहाली की प्रक्रिया पूरी कर रही है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2490(श्री अजीत शर्मा)

श्री महेश्वर हजारी: अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण कार्य किया जाता है । समय-समय पर अनुश्रवण कर इस कार्य को प्रभावी बनाने हेतु कदम उठाया जाता है । वार्डों के अन्दर रोड/लेन एवं वाई लेन के छोटी नालियों की नियमित सफाई की जाती है एवं बड़े-बड़े नाले की सफाई विशेष अभियान चलाकर समय-समय पर नाली उड़ाही करायी जाती है । पॉलिथिन एवं फोम को फेंके जाने के कारण नाली जाम की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित गति से सफाई करायी जाती है ।

3- इससे सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार परिलक्षित हुआ है । स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत कराई गई रैंकिंग में बिहार राज्य में भागलपुर नगर निगम को बेहतर स्थान प्राप्त हुआ है ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल सफाई और नाला की सफाई और कूड़ा-कचड़ा का उठाव नहीं हो रहा है । शहर में पूरी गंदगी है और जहां तक मंत्री जी कह रहे हैं कि आउट सोर्सिंग कम्पनी को दिया गया है, करीब उसपर 50 लाख रूपया प्रति माह खर्च किया जाता है और नगर निगम भी करीब 15 वार्ड में खर्च कर रही है तो इतने पैसे प्रति माह खर्च होने के बाद भी पूरी तरह सफाई नहीं होता है । मेरा मानना है कि चूंकि नगर निगम, जो आप पटना में भी देख रहे हैं कि मुख्य पार्षद का जो चुनाव होता है, वह पार्षदों के द्वारा होता है, वे ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंक उनको डर रहता है कि पार्षद मुख्य पार्षद को हटा देगा, जिसे बोलचाल में मेयर भी कहते हैं । तो मैं आग्रह पूर्वक माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अगर नगर निगम को सुचारू रूप से और शहर को साफ रखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मेयर का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा होना चाहिए, क्या यह सरकार इसपर विचार रखती है । दूसरा जो आउट सोर्सिंग कम्पनी, निगम सफाई के काम का पेमेंट, भुगतान कर रही है, क्या उनपर जांच कराकर कार्रवाई करेगी, तीसरा कि विधायक की कोई भूमिका नहीं है नगर निगम में और अगर हमलोग कोई बात कहते हैं तो वह स्वायत्त की बात करता है तो क्या विधायकों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित कराना चाहेगी सरकार ?

श्री महेश्वर हजारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आउटसोर्सिंग की बात कही है और आउटसोर्सिंग का जांच कराया और जिस व्यक्ति से काम कराया जाता है, उसको वह पैसा नहीं दिया था, जिसके कारण चारों-के-चारों को

ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है और पुनः हमलोग स्वयं स्वायत्ता समूह से लगे हुए हैं, सब जगह कार्य प्रारम्भ। हो । कुछ जगहों पर काम प्रारंभ हुआ है और कुछ जगह प्रारम्भ होने वाला है ।

तारांकित प्रश्न सं0–2491(श्री अमीत कुमार)

(अनुपस्थित)

टर्न–6/शंभु/31.03.16

तारांकित प्रश्न सं0–2492/श्री रामप्रीत पासवान

श्री रामविचार राय : महोदय, अस्वीकारात्मक है। मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड में वर्ष 2013–14 अन्तर्गत खरीफ मौसम में जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 806, आवंटन दिनांक 31.07.2013 एवं पत्रांक 897 आवंटन दिनांक 31.07.2013 तथा पत्रांक 972, आवंटन दिनांक 18.09.2013 के द्वारा उप आवंटित राशि 67 लाख 67 हजार 188 रूपया के विरूद्ध प्रखंड में 5875 आवेदन प्राप्त किये गये हैं। 4630 आवेदन स्वीकृत किया गया एवं दिनांक 24.07.2013 से 30.10.2013 तक डीजल क्रय करनेवाले किसानों को 37 लाख 16 हजार रूपया का कोषागार से निकासी कर 4620 किसानों को लाभान्वित किया गया। उक्त वर्ष डीजल अनुदान की राशि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा लाभुकों की सूची के अनुसार निकासी के पश्चात् डीजल अनुदान वितरण कैंप लगाकर डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति के समक्ष किया गया था। वर्ष 2014–15 अन्तर्गत खरीफ मौसम में जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 934, आवंटन दिनांक 25.07.2014 के द्वारा उप आवंटित राशि 22 लाख 47 हजार 990 रूपया के विरूद्ध प्रखंड में 2442 आवेदन प्राप्त किये गये। 2442 आवेदन स्वीकृत किया गया एवं दिनांक 15.07.2014 से 30.10.2014 तक डीजल क्रय करनेवाले किसानों को 20 लाख 86 हजार 850 रूपया कोषागार से निकासी कर 2442 किसानों को लाभान्वित किया गया। उक्त वर्ष में डीजल अनुदान की राशि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा अनुमोदित लाभुक कृषकों को आर0टी0जी0एस0 एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान किया गया था। किसानों से किसी प्रकार की लिखित शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में डीजल अनुदान अनुश्रवण

सह निगरानी समिति के समक्ष जॉच कराने की व्यवस्था शिकायतों के जॉचोपरान्त जो किसान वांछित अर्हता रखते थे उन्हें अनुदान का भुगतान कैंप आयोजित कर किया गया। वर्ष 2015-16 अन्तर्गत खरीफ मौसम में जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 1525, आवंटन दिनांक 20.07.2015 एवं पत्रांक 2058 आवंटन दिनांक 09.10.2015 के द्वारा उक्त आवंटन राशि 43 लाख 81 हजार 756 रूपये के विरूद्ध प्रखंड में 3691 आवेदन प्राप्त किये गये हैं। 3691 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं एवं दिनांक 25.06.2015 से 30.10.2015 तक डीजल क्रय करनेवाले किसानों को 33 लाख 22 हजार 570 रूपया को कोषागार से निकासी कर 3691 किसानों को लाभ दिया गया। रब्बी महोत्सव में जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 2385, आवंटन दिनांक 16.12.2015 के द्वारा उप आवंटित आदेश 17 लाख 26 हजार 91 रूपये के विरूद्ध प्रखंड में 1947 आवेदन प्राप्त किये गये हैं। 1947 आवेदन स्वीकृत किया गया एवं दिनांक 28.11.2015 से 15.03.2016 तक डीजल क्रय करनेवाले किसानों को 12 लाख 38 हजार 180 रूपया का कोषागार से निकासी कर 1947 किसानों को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उनके बैंक खाता में सीधे अंतरित करते हुए लाभान्वित किया गया। अद्यतन किसी प्रकार की अनियमितता की जानकारी प्रकाश में नहीं आयी है।

श्री रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : रामप्रीत बाबू, अब भी पूरक है आपका ?

श्री रामप्रीत पासवान : जी, जी है।

अध्यक्ष : है तो पूछिए।

श्री रामप्रीत पासवान : माननीय मंत्री जी लिखे हुए जवाब को पढ़ दिये हैं सत्यता यही है....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी बराबर लिखे हुए जवाब को पढ़ते हैं।

श्री रामप्रीत पासवान : जी। विभाग ने इन्हें गुमराह किया है। जिस बी0डी0ओ0 पर प्रपत्र-क गठित है और अभी भी 25 पंचायत का राजनगर प्रखंड है, मात्र डेढ़ पंचायत को बांटा है। जहां दो चार बिचौलिया रखे हुए है और शेष पंचायत का पैसा अभी भी नहीं दिया है।

अध्यक्ष : रामप्रीत बाबू, माननीय मंत्री जी ने बताया है, आपने 2013-14, और 2015-16 के बारे में कहा है। उन्होंने बताया है कि 2013-14 में 4620 लाभुकों को 37 लाख रूपया से कुछ अधिक वितरित किया गया है और 2015-16 में 3691

किसानों को 33 लाख से कुछ अधिक रूपया वितरित किया गया है। उन्होंने अपने जवाब के क्रम में बताया है, अब इसके परिप्रेक्ष्य में आपका कुछ पूरक है तो पूछिए।

श्री रामप्रीत पासवान : जी यही पूरक है। जो भी जवाब दिये हैं उसी में हम जॉच कराने की मांग करते हैं, वह किसान को नहीं मिला है और किसान के नाम पर कर्मचारी से गलत रसीद बनाकर के लोगों को भुगतान किया गया है कैंप करके, किसान वंचित रह गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि तीनों वित्तीय वर्ष को वे किसी वरीय पदाधिकारी से जांच करायेंगे और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष : आप दोनों कि तीनों कह रहे हैं ?

श्री रामप्रीत पासवान : ये दोनों पदाधिकारी, उसमें एक प्रखंड छूट गया है अंधराठाड़ी वह प्रश्न में नहीं है।

श्री रामविचार राय : अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े विस्तार से जानकारी दी है।

अध्यक्ष : विस्तार में कोई कमी नहीं थी।

श्री रामविचार राय : इसमें जॉच का सवाल कहां उठता है ?

श्री रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, जब तक वह गड़बड़ नहीं किया तो जिला पदाधिकारी ने उस बी0डी0ओ0 पर प्रपत्र-क क्यों गठित किया, ये उसकी जॉच करायें।

श्री नन्दकिशोर यादव : माननीय मंत्री ने विस्तार से जवाब दिया है इसमें कोई दो मत नहीं है और उन्होंने सारे आंकड़े बताये हैं कि कितना रूपया आवंटित हुआ, कितने लोग लाभान्वित हुए, लेकिन महोदय, गौर करेंगे आप माननीय सदस्य उस क्षेत्र के विधायक हैं और आम लोगों से मिलते रहते हैं। इनका कहना है कि जो आप संख्या बता रहे हैं 3691 लोगों को लाभान्वित किया गया, उतने ही आवेदन आये, लेकिन इनका कहना है कि 3691 की जो संख्या बता रहे हैं जिस किसान ने आवेदन दिया था उस किसान को पैसा नहीं मिला, वह बंदरबांट हो गया। उसकी जॉच की मांग कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है महोदय ? जॉच तो स्वतः करानी चाहिए। अगर माननीय मंत्री महोदय को कोई परहेज नहीं हो और गड़बड़ी कोई नीचे का अधिकारी कर रहा है तो उसकी जॉच कराने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या माननीय मंत्री महोदय इसकी जॉच करायेंगे?

अध्यक्ष : माननीय नन्दकिशोर बाबू, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उससे यह भी बात सामने आयी है कि जॉच भी हुई है और कार्रवाई भी हुई है। उन्होंने अपने पूरक में कहा है कि गड़बड़ी नहीं थी तो प्रपत्र-क क्यों गठित हुआ है। मतलब उनके संज्ञान में है कि उसमें प्रपत्र-क गठित हुआ है और प्रपत्र-क गठित हुआ है तो स्वाभाविक रूप से जॉच हुई होगी, गड़बड़ी पायी गयी होगी तभी प्रपत्र-क गठित होता है। अब इसके अलावा अगर कोई विशेष जॉच चाहते हैं तो सरकार को बतायें।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, प्रश्न को पढ़ा जाय, प्रश्नकर्त्ता ने क्या कहा है- यदि हां, क्या सरकार जॉच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है। महोदय, जॉच कराने में क्या आपत्ति हो सकती है ? अगर नीचे का अधिकारी कोई गड़बड़ी कर रहा है तो जॉच कराने में क्या आपत्ति है ?

श्री रामविचार राय : पैसा सीधे किसान के खाता में गया है आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से तो बंदरबांट का सवाल इसमें कहा हैं ? कोई औफिसर हाथ में नहीं लिया सीधे किसान को चला गया, यह रेकार्ड में है।

श्री सदानन्द सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सही इनके उत्तर में देखा कि प्रपत्र-क गठित हो चुका है और प्रपत्र-क गठित होता है वैसे पदाधिकारियों पर जो दोषी होते हैं और फिर विभागीय कार्यवाही होती है। क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिन पदाधिकारियों पर या जिस पदाधिकारी पर प्रपत्र-क गठित किया गया है उसपर विभागीय कार्यवाही हो रही है ?

अध्यक्ष : सदानन्द बाबू, प्रपत्र-क की चर्चा माननीय सदस्य ने ही की थी। हम तो उनसे कह रहे थे कि इसके परिप्रेक्ष्य में पूरक कोई पूछना हो तो सरकार ने अभी इसकी चर्चा कहां की है, अभी तो माननीय सदस्य इसकी चर्चा कर रहे थे। माननीय मंत्री जी, आप इसको देख लीजिए माननीय सदस्य की सूचना है कि इस मामले में प्रपत्र-क भी गठित हुआ है तो आप उसको देख लीजिए, अगर गड़बड़ी हुई है, प्रपत्र-क हुआ है उसको तार्किक परिणति तक, लॉजिकल एंड तक पहुंचाना चाहिए।

श्री रामविचार राय : ठीक है, हम देख लेंगे।

श्री रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, 68 किसान ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं मिला है, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सबको मैं बांट दिया, कैंप लगाकर बांट दिया.....

अध्यक्ष : तो आप उसकी सूचना दे दीजिए, ये जॉच करा देंगे।

तारांकित प्रश्न सं0–2493/श्री कृष्ण कुमार ऋषि

श्री मदन मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, 1– उत्तर स्वीकारात्मक है।

2– वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियां जिला में अभियान बसेरा योजना अन्तर्गत बास भूमि रहित कुल 4194 सर्वेक्षित परिवार में से अब तक 1484 परिवार गृह विहीनों के लिए जमीन उपलब्ध करा दिया गया है तथा 2710 परिवारों को भूमि उपलब्ध कराना शेष है।

3– शेष बचे हुए बास भूमि रहित 2710 सर्वेक्षित परिवारों को अभियान बसेरा योजना के अन्तर्गत भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

टर्न–7/अशोक/31.03.2016

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2011 में यह योजना शुरू की गई और वर्ष 2011 से आज तक, उदाहरण है महोदय, पूर्णिया जिला में, बनमंखी प्रखण्ड में, एक प्रखण्ड का मैं उदाहरण देता हूँ, इन्हीं के कर्मचारी, पदाधिकारी द्वारा दो बार 349 परिवार को चिन्हित किया गया और आज तक सिर्फ 9 परिवार को ही मिली जमीन महोदय, आप अंदाज कर सकते हैं सिर्फ एक प्रखण्ड में सिर्फ 9 परिवार को मिला तो पूरे पूर्णिया जिला में कितने प्रखण्ड को क्या दिया होगा और मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि इतने परिवार बचें हुये हैं। आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि शेष बचे हुये परिवार को कब तक आप जमीन उपलब्ध करा देंगे और अभी तक नहीं उपलब्ध कराने वाले पदाधिकारी पर आप कौन सी कार्रवाई करना चाहते हैं ।

श्री मदन मोहन झा : महोदय, अभियान बसेरा के तहत नियम है कि लाभार्थी जो हैं उनके कंसेन्ट से जमीन दी जाती है, यह नहीं है कि हम खरीद कर के उनको दे देंगे कहीं भी और बस जायेंगे । पहले हम उनका कंसेन्ट लेंगे कि ये–ये जमीन मेरे पास है, वहां बसियेगा कि नहीं ? अगर वे कंसेन्ट नहीं देंगे तो हम नहीं खरीद सकते हैं । माननीय सदस्य वहां से विधायक हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करता हूँ

कि अगर कोई जमीन मालिक जमीन देने को तैयार हों और लाभर्थी बसने को तैयार हो तो यथाशीघ्र उस जमीन की व्यवस्था करने के लिए हम तैयार हैं ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि केनगर में, श्रीनगर में 318 परिवार में से 27 परिवार, बनमंखी में 349 परिवार में से सिर्फ 9 परिवार और धमदाहा.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी तो कह रहे हैं कि बचे हुये हैं ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : मंत्री जी कह रहे हैं लेकिन मंत्री जी अपने पदाधिकारी, ये चिन्हित किये हैं जमीन देखकर के कि इतना परिवार बसने लायक हैं, लेकिन चिन्हित के बावजूद भी महोदय आज तक जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई ।

अध्यक्ष : वही न माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि चिन्हित लोग पुनर्वासित होने के लिए, जमीन आवंटित होने के लिए बचे हुये हैं । भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, भूमि उपलब्ध होगी तो बसने वालों की भी राय ली जाती है । जमीन उपलब्ध हो जाय और बसने वाले वहां बसने को तैयार हैं तो सरकार उसमें कार्रवाई करने को तैयार है ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : भूमि उपलब्ध कहां से होगी, मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उनके पदाधिकारी गढ्ढा में जमीन खोजते हैं यानी जो पानी वाला जमीन है ।

अध्यक्ष : ऊपर में जमीन खोजने के लिए ही न माननीय मंत्री जी ने आपसे सहयोग मांगा है।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : आज मंत्री जी कह रहे हैं सहयोग की बात, मेरा कहना है कि कम से कम, वहां महादलितों की सबसे बेसी आबादी है पूर्णिया जिला में और मेरे विधान सभा में सबसे अधिक है ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि 2710 परिवार ऐसे हैं जिनको जमीन देना शेष है, उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि जमीन उपलब्ध होने पर भी वह सहमति प्राप्त होती है लाभुक से तब उपलब्ध कराया जाता है । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि ये जो 2710 शेष परिवार है, उन शेष परिवारों के लिए कहां-कहां जमीन खोजा गया और कितने परिवारों से सहमति मांगी गई और नहीं मिली ? इसकी जानकारी चाहिए ।

श्री मदन मोहन झा : अध्यक्ष महेदय, इसकी विस्तृत सूचना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो लोग, आश्रित लोग जो कंसेन्ट दी है उसकी प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन जो

जमीन नहीं मिली, इसके लिए वहां के सी.ओ. और अन्य लोग प्रयत्नशील हैं कि जल्द से जल्द जमीन मिले । मैं भी चिन्तित हूॅ, सिर्फ आप ही नहीं हैं और हम समझते हैं कि सरकार अवश्य काम करेगी ।

श्री नंद किशोर यादव : आखिर गरीब को जमीन मिलेगी कब महोदय, मंत्री महोदय खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 2710 परिवार बाकी हैं तो आखिर गरीबों को जमीन दिलाने की व्यवस्था हो नही रही है, कब तक सरकार इनको जमीन देगी ?

अध्यक्ष : सरकार जमीन देने की पहल करे ।

अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ, जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी अवगत हैं कि पूरे विश्व में राष्ट्र मंडल देशों के माननीय सांसदों एवं विधायकों का एक फोरम है राष्ट्र मंडल संसदीय संघ । जितने भी राष्ट्र मंडल देश हैं उसके संसद और विधान सभा के सभी माननीय सदस्य उसके सदस्य बन सकते हैं और आजीवन सदस्यता का भी उसमें प्रावधान है, जब आप संसद या विधान मंडल के सदस्य नहीं रहते हैं तब भी उस संघ के सदस्य बने रहेंगे । इस नई विधान सभा में बहुत सारे माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आये हैं । विधान सभा सचिवालय से उन सभी माननीय सदस्यों को सदस्यता के लिए विहित प्रपत्र उलब्ध कराया गया है । इसलिए हम सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि वे राष्ट्र मंडल संसदीय संघ की आजीवन सदस्यता ग्रहण कर लें । साथ ही, 2 तारीख को राष्ट्र मंडल संसदीय संघ, बिहार शाखा की बैठक निर्धारित है, जो विधान सभा एनेक्सी भवन में होगी । उस दिन हमलोग राष्ट्र मंडल दिवस भी मनायेंगे । उसकी जो एनुअल जेनरल मीटिंग होती है, साधारण वार्षिक बैठक, वह भी होगी और इस बीच में जो सत्ता पक्ष या विपक्ष के माननीय सदस्यगण हैं, उनसे मेरी जो बातचीत हुई है, उसमें सभी सदस्यों की राय बनी है कि हम सभी विधायकगण सामूहिक रूप से अपने प्रदेश के रूग्न एवं जरूरतमंद लोगों के लिए सामूहिक रूप से रक्त-दान करेंगे । यह एक बहुत ही अच्छी पहल है और जब रूग्न एवं जरूरतमंदों के लिए विधायकगण सामूहिक रूप से राष्ट्र मंडल दिवस के अवसर पर रक्त-दान करेंगे तो इसका समाज में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा । यह समाज के रूग्न एवं जरूरतमंद लोगों की बड़ी सेवा होगी । इसलिए जो सदस्य नहीं बने हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि सदस्य बनें और 2 तारीख की बैठक एवं सामूहिक रक्त-दान के कार्यक्रम में हिस्सा लें । यह हमारा आप सब से अनुरोध होगा ।

मननीय नेता, प्रतिपक्ष ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, 2 अप्रील को आपके द्वारा राष्ट्र मंडल दिवस के अवसर पर सभी माननीय सदस्यों से आपने आग्रह किया है, पूर्व में भी देखा गया है और लम्बे समय से, आजीवन सदस्यता का अभियान पिछले बार भी चला था, इस बार आपने आह्वान किया है माननीय सदस्यों को तो हम भी चाहेंगे महोदय कि अच्छा अवसर है और आपने जो पहल किया है, आपने अच्छा पहल किया है, पूर्व में मैंने देखा है कि आपने प्रबोधन कार्यक्रम कराया

था जब विधान सभा का स्थापना दिवस हो रहा था और फिर पुनः सत्र समाप्ति के दौरान, अब सत्र कम रह गया है और 2 अप्रील- वैसे महोदय हम सभी सदस्यों से मैं भी आग्रह करूंगा कि निश्चित तौर पर दो कार्यक्रम है- एक है कि संसदीय राष्ट्र मंडल दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें सम्मलित हों और उसी दिन सारे माननीय सदस्य जो हमारे हैं, सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, सब लोग निश्चित तौर पर संसदीय संघ के जो आजीवन सदस्य बनना है, बनें और साथ ही साथ सामूहिक रक्त-दान का प्रावधान आपने किया है, व्यवस्था की है, बहुत आवश्यक है, राज्य में इसकी आवश्यकता है, गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, खून की दिक्कत होती है- इस अभियान से निश्चित तौर पर राज्य के गरीब जनता को लाभ होगा । मैं भी चाहता हूँ कि आपने जो पहल की है, निश्चित तौर पर 2 अप्रील को सारे सदस्य इस कार्यक्रम में भाग लेकर के सफल बनाने का काम करें । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदानन्द बाबू ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपे द्वारा यह पहल बड़ा ही सराहनीय कदम है और संसदीय प्रणाली में पहली बार किसी विधान सभा के द्वारा और विधान सभा के सदस्यों के द्वारा उन गरीब, बेसहारे लोगों को खून देने की बात की जा रही है- एक सकारात्मक सोंच और सकारात्मक सोंच जनप्रतिनिधियों की ओर भी आम जनता का हो, इस दिशा में यह बड़ा ही सराहनीय पहल है । हमारे विपक्ष के नेता प्रेम जी ने जो इस पर सहमति, सहमति तो सभी सदस्यों की है और निश्चित तौर पर सभी माननीय सदस्यों को राष्ट्र मंडल संसदीय संघ का सदस्य बनना चाहिए, आज जो विधायक हैं, उनको जो विधायक नहीं रहेंगे और विधान सभा और इसकी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे, कम से कम साल में एक-दो बार ....क्रमशः

टर्न-8-31-03-2016-ज्योति

क्रमशः

श्री सदानंद सिंह : कम से कम साल में एक दो बार राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की एक बैठक में आकर विधान सभा में आयेंगें और सदस्यों से मुलाकात होगी और आपने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठया है, इसके लिए बहुत बहुत

धन्यवाद और आपने बहुत ही अच्छा काम किया है कि कैन्सर किस कारण से फैलता है, किन कारणों से कैन्सर की बीमारी होती है उसपर भी परिचर्चा करवा रहे हैं और वरीय चिकित्सकों द्वारा फिर विधायकों को पूछने का और अन्य बातों की सहूलियत दे रहे है तो चलिए सकारात्मक पहल है । एक संसदीय कार्य के अतिरिक्त भी जनता के प्रति एक कर्त्तव्य निभाने की बात है , गरीब गुरबा जनता के प्रति, वह बड़ा ही सराहनीय काम है और धन्यवाद के आप पात्र हैं ।

अध्यक्ष : धन्यवाद ।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ से आज सदन में निर्देश प्राप्त हुए हैं, वह बहुत ही सराहनीय है और उच्च कोटि के निर्देश प्राप्त हुए है । संसदीय लोकतंत्र में हम सब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता के कमीटमेंट के लिए हमलोग आते हैं और आज जो निर्देशन मिला है महोदय, संसदीय राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में जो 2 तारीख को कार्यशाला होने वाला है जो बैठक होने वाली है और उसमें प्रबोधन के भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं । निश्चित रुप से न सिर्फ हमें ज्ञानबर्द्धन की ओर ले जायेगा बल्कि इस राज्य में जो गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं , परेशान लोग हैं और उन गरीबों को कोई देखने वाला नहीं मिलता है । वैसे लोगों के लिए भी आपने रक्त दान का निर्देश दिया है । हम सभी संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले और सभी माननीय दोनों सदनों के माननीय सदस्य, विधान मंडल के सदस्य हम आपके इस निर्देश का अक्षरशः पालन करेंगे । हमलोग देश की सेवा के लिए , राज्य के गरीब जनता की सेवा के लिए, हम उनके लिए, अपना खून भी देने के लिए तैयार हैं । इस आसन के निर्णय से हमें काफी प्रसन्नता है और आसन के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनॉक 31 मार्च, 2016 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कुल 9 कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :

माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री विद्यासागर केशरी, डा0 सुनील कुमार, श्री संजय सरावगी , श्री विजय कुमार खेमका, श्री केदार प्रसाद गुप्ता , श्री जिवेश कुमार एवं श्री विजय कुमार सिन्हा।

आज दिनॉक 31 मार्च 2016 को सदन में राजकीय विधेयक पर व्यवस्थापन होने का कार्यक्रम निर्धारित है । कार्य स्थगन प्रस्ताव में जिन विषयों को उठाने की सूचना दी गयी है उसके संबंध में पहले भी विचार हुआ है और आगे भी विचार हो सकता है ।

अतएव, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 99 (1) के (ii) एवं (iii) के तहत उपर्युक्त सभी कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य किया जाता है ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, राज्य में कबीर अन्त्येष्टि योजना में राशि नहीं जा पा रही है। दूसरी महोदय, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, उसमें भी राशि नहीं जा रही है और राज्य में महोदय, 9 महीने से जो वृद्धावस्था पेंशन मिलता था, गरीबों को वह मिल नहीं पा रहा है । साथ ही गरीब बच्चों की जो छात्रवृति की राशि है उसमें पटना सहित पूरे राज्य में काफी घोटाले हुए हैं । राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गयी थी कि राज्य के भूमिहीन गरीबों को हम पॉच डिसमील जमीन देंगें । इन चीजों पर सरकार ने कारण नहीं बताया है इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध होगा कि पेंशन की राशि, कन्या विवाह की राशि, और साथ साथ जमीन देने का सरकार ने जो एलान किया था, कम से कम सरकार से वक्तव्य चाहते हैं और जो छात्रवृति घोटाला हुआ है उसकी सी0बी0आई0 से जॉच की मांग करते हैं । सरकार बैठी हुई है, संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं , उनसे आग्रह करेंगें कि छात्रवृति में जो घोटाला हुआ है उसकी जॉच हो ।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, लम्बा सत्र चला है और माननीय विपक्ष के नेता संसदीय कार्यों के जानकार हैं और लम्बे समय से सदन का इनको अनुभव भी रहा है लेकिन जो प्रश्न ये उठा रहे हैं, कार्य स्थगन के माध्यम से , अगर नियमावली के हिसाब से इन प्रश्नों को उठाते तो सरकार भी जवाब देती और राज्य का हित भी होता लेकिन राज्य के हित से इनको मतलब नहीं है । मतलब है सिर्फ सवाल को खड़ा करना ।

अध्यक्ष : शून्य काल, श्री संजय सरावगी । श्री संजय सरावगी का भी वही मामला है।

शून्य काल

श्री संजय सरावगी : दरभंगा शहर के लोगों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना , कन्या विवाह योजना, पारिवारिक लाभ एवं लोक सेवा अधिकार के तहत आने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए सदर प्रखण्ड मुख्यालय में आवेदन के लिए जाना पड़ता है जिससे अत्यधिक कठिनाई होती है । अतः जनहित में दरभंगा नगर निगम परिसर में लोक सेवा अधिकार का काउन्टर खोला जाय ।

डा0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, नालन्दा जिला मुख्यालय, बिहारशरीफ नगर निगम में उपलब्ध राशि से दिनॉक 20-09-14 को पारित योजना भैंसासुर घर्मशाला सोहसराय अड्डा पर एवं श्रृंगार हाट में कुछ प्रवाही नलकूप निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन और नगर विकास विभाग से अविलंब स्वीकृति हेतु मैं शून्य काल में सूचना देता हूॅ ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज के महम्मदपुर थाना अन्तर्गत 30-03-2016 रात्रि साढ़े नौ बजे केन बम विस्फोट से गोपालपुर निवासी तिलकधारी शाह सहित उनके दो पुत्र गंभीर रुप से घायल हो गए हैं । यहीं पर पूर्व में केन बम को डिफ्यूज किया गया था । घायलों को दो-दो लाख की सहायता के साथ घटना की उच्चस्तरीय जॉच करायी जाय।

श्री यदुवंश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, बी0एन0मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कुलपति की अवैध नियुक्ति एवं इनके द्वारा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं करोड़ों की वित्तीय अनियमितता के विरुद्ध श्रीमती रींकी युदवंशी द्वारा शपथ पत्र के साथ आवेदन के आधार पर गठित निगरानी जॉच दल के उदासीनता के चलते मामला रफा दफा करने के लिए आवेदिका के पति पर दबाव एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही है । शीघ्र जॉच निगरानी विभाग से करवाकर दोषी को दंडित करने के लिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूॅ।

श्री मो0 नवाज आलम : भोजपुर जिला मुख्यालय, आरा में प्रतिदिन जाम बना रहता है । जिसके कारण एम्बबुलेंस सेंवा सहित अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं समय पर नहीं हो पाती । आरा शहर को जाम से निजात दिलाने हेतु धरहरा पुल के बांधा होते हुए मंझौआ तक रिंग सड़क का निर्माण कराने की मांग करता हूॅ ।

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड अन्तर्गत शीतलपुर पंचायत के विशनपुर मैदान में निविदा तथा प्रशासनिक स्वीकृति के बावजूद भी दो तीन असामाजिक तत्वों के द्वारा दो वर्षों से पंचायत राज सरकार भवन के निर्माण में जबर्दस्त व्यवधान पैदा किया गया है तथा संवेदक से फिरौती की मांग की गयी है अतः विशनपुर मैदान में पंचायत राज सरकार भवन का निर्माण कराते हुए, दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, गया जिलान्तर्गत आमस प्रखंड के अपर मोरहर नहर की सफाई नहीं होने से अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है । किसानों को खरीफ एवं रब्बी फसलों की सिंचाई में कठिनाई होती है । सिंचाई सुविधा हेतु अपर मोरहर नहर के सभी तटबंधों का पक्कीकरण एवं सफाई करायी जाय ।

टर्न-9/विजय/ 31.03.16

श्री अशोक कुमार सिंह(224): पटना नगर निगम अन्तर्गत वार्ड नं0-05 राजा बाजार आशियाना मोड़ पी0एन0बी0 बैंक के बगल में सीता राम इन्कलव अपार्टमेंट के द्वारा शौचालय के पानी का बहाव सड़क पर होता है ।

श्री सुबोध राय: भागलपुर जिलान्तर्गत शाहकुंड प्रखंड मुख्यालय बाजार और इर्द-गिर्द महल्ला पन्द्रह हजार से अधिक आबादी का व्यस्तम एवं घनिष्ट इलाका है। यहां पेयजल आपूर्त्ति का कोई साधन नही रहने के कारण पेयजल का घोर संकट व्याप्त है ।

श्री संजीव चौरसिया: दीघा रेलवे सुरक्षा बांध से दीघा लख तक प्रस्तावित एलिभेटेड रोड बनने के कारण गंगा की धारा आम लोगों के पहुंच से बाहर हो जायेगी । लोगों की गंगा में आस्था एवं किसानों को खेत तक पहुंचने के लिए पाटीपुल, मीनार, जनार्दन एवं अन्य घाटों के सामने गंग तक जाने के लिए सब-वे की मांग करता हूं ।

मो0 नेमतुल्लाह: पटना सिटी में गोवर्धन मंदिर से गायब हुए आचार्य चाणक की मूत्ति पर चौक थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या-166/2009 पर कार्रवाई तथा शहजहां काल में निर्मित कराया गया । अजीमाबाद के तत्कालीन गर्वनर सैपु अली खॉ का चिमनी घाट पर एक बीघा भूमि पर निर्मित मकबरा पर हो रहे अतिक्रमण हटाने के बिंदु पर शून्य काल के माध्यम से शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री राणा रणधीरः पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत फेनहारा प्रखंड के खानपिपरा पंचायत में ककरहिया नाला पर पुल नहीं रहने के कारण पंचायत के कई गांवों का सीधा सम्पर्क प्रखंड मुख्यालय तथा अनुमंडल से नहीं है । अतः जनहित में ककरहिया नाला पर पुल का निर्माण अतिशीघ्र करायी जाय ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ताः मुफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुढ़नी प्रखंड महुा मुख्य पथ से छितरौली मकसुदपुर सड़क काफी जर्जर है, लोग रोज गिरकर घायल हो रहे हैं । एक की मृत्यु हो गयी है । सड़क की निविदा ग्रामीण कार्य विभाग से दो वर्ष पूर्व हो चुका है । जनहित में यथाशीघ्र बनवाने की मांग करता हूं ।

श्री ललन पासवानः रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर प्रखंड के मड़कन गांव में जाने को ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क बद से बदतर है । चेनारी शिवसागर मुख्य मार्ग के बहेरी गांव से मड़कन तक कच्ची पथ है ।

हम सरकार से मांग करत हैं कि उक्त गांवों में आवागमन हेतु सड़क बनावें ।

श्रीमती पूनम देवी यादवः खगड़िया मुख्यालय से सटे बाजार समिति अवस्थित अग्निशमन कार्यालय में चार महीने से दूरभाष सेवा ठप है, जिसके कारण आग लगने की सूचना दे पाने में सक्रियजन विफल हो जाते हैं । फलस्वरूप आग पर काबू पाना बेमुश्किल हो जाता है । अतः सरकार उक्त कार्यालय में दूरभाष सेवा यथाशीघ्र चालू करावे ।

श्री मुंद्रिका सिंह यादवः जहानाबाद जिला, शकुराबाद थाना, नारायणपुर पंचायत ग्राम–जानकी कुंड, पतियामा टोला मच्छारा, विशुनपुर, टोला गया बिगहा, रतनी प्रखंड, लाखापुर पंचायत–गां0–धावापुर, अजन विगहा, लाखापुर–मुशहरी एवं सिकन्दरपुर पंचायत के ग्राम–पाण्डेयचक, बेलदारी विगहा, गुलाबगंज, मेवाबाजार, ब्रह्मस्थान, सरेया टोला–इतवरण विगहा, कबबॉ टोला– उदयपुरा में बिजली नहीं है। सरकार से विद्युतीकारण की मांग करता हूं ।

श्री अशोक कुमार सिंह(203): राज्य में जुनियर तरंग प्रतियोगिता चल रही है किन्तु अधिकारियों के लापरवाही के चलते रामगढ़ के बच्चे भाग नहीं ले सके जबकि रामगढ़ का छात्र नीतीश वर्ष 2015 में राज्यस्तरीय तरंग प्रतियोगिता के कविता लेखन में राज्य में प्रथम आया था । मैं दोषी पाधिकारियों पर कार्रवई की मांग करता हूं ।

श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा: बिहार सरकार नेट-बेट क्वालिफाई अभियर्थियों का नियुक्ति केवल डिग्री महाविद्यालय में ही होता है, लेकन इन अभियर्थियों की नियुक्ति 10 प्लस टू विद्यालय में कर दिया जाय ताकि शैक्षनिक स्थिति में सुधार हो सके ।

अत: इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रश्नाधीन अभियर्थियों को नियुक्त कराने की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका: पूर्णिया जिलान्तर्गत पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक में कोई महिला महाविद्यालय नहीं है जिसके कारण छात्राओं को पठन पाठन हेतु प्रखंड से 15 से 20 कि0मी0 दूर आना जाना पड़ता है । इससे भारी कठिनाई होती है ।

अत: उक्त प्रखंड के रानीपतरा या बेलोरी में महिला महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं ।

श्री बशिष्ठ सिंह: रोहतास जिलान्तर्गत कोचस प्रखंड के अन्हारी गांव की जनसंख्या 1400 है और यह गांव कोर नेटवर्क में भी सूचीबद्ध है लेकिन अभी तक यह गांव पक्की सड़क से नहीं जुड़ा है ।

सरकार से मांग करता हूं कि सासाराम-चौसा पथ से अन्हारी गांव तक पक्की सड़क का निर्माण कराया जाय ।

श्री जिवेश कुमार: बिहार में भाषा के आधार पर कई विषयां के शिक्षकों की नियुक्ति हुई जैसे उर्दू एवं बंगला शिक्षक जबकि मैथिली भाषा संविान के अष्टम अनुसूची में भी शामिल है परंतु अबतक मैथिली शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है।

सरकार जल्द से जल्द मैथिली विषय के शिक्षकों की बहाली करे।

श्रीमती भागीरथी देवी: पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत प्रखंड रामनगर एवं गौनाहा में मच्छड़ां का प्रकाप काफी बढ़ गया है जिससे लोग बीमार होते जा रहे हैं ।

आग्रह है कि रामनगर के नगर एवं ग्रामीा में तथा गौराहा प्रखंड में फौगिंग मशीन से तथा ब्लीचिंग पावडर के छिड़काव द्वारा राहत पहुंचायी जाय ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव: नालंदा जिला अन्तर्गत हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल जहां लगभग तीन विधान सभा क्षेत्र के लोगों का सरोकार है उक्त अनुमंडलीय अस्पताल में अंतपरीक्षक की व्यवस्था नहीं रहने के कारण लोगों को लंबी दूरी तय करना पड़ता है । अत: सरकार से हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में अंतपरीक्षक की व्यवस्था करने की मांग करता हूं ।

श्री रामदेव राय: बिहार के मगध, मिथिला, वीर कुंवर सिंह, बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में 10.02.89 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत तदर्थ व्याख्याताओं की सेवा सामंजन अबतक न होने से उनका भविष्य अंधरकारमय है । अतएव, सरकार शीघ्र उनकी सेवा सामंजन कर न्याय दे ।

श्री सत्यदेव राम: सिवान जिलान्तर्गत दरौली प्रखंड के ग्राम सहजनिया निवासी नगराराये राम की हत्या दिनांक 08.07.15 को उसी प्रखंड के सरहरवा निवासी वोकिली सिंह, मुन्ना सिंह ने मजदूरी मांगने पर कर दी । नगर थाना कांड संख्या-282/15 नामजद प्राथमिकी दर्ज है ।

अत: पीड़ितों को मुआवजा और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करता हूं ।

श्री विद्या सागर केशरी: अररिया जिलान्तर्गत पुलिस प्रशासन के संरक्षण में बंगलादेश से जुड़ पशु तस्करी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है । प्रतिदिन जिले के विभिन्न मार्गों से वाहनों द्वारा तस्करी को अंजाम स्थानीय स्तर पर इंट्री माफियाओं द्वारा दी जा रही है जो बंगलादेशी कनेक्शन के कारण आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है, सदन का घ्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता: सारण प्रमंडलीय मुख्यालय छपरा के सदर अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ मूर्च्छक एवं चिकित्सा पदाधिकारी रक्त अधिकोष का पद वर्षो से रिक्त है। छपरा सदर अस्पताल में स्वीकृत 206 शय्याओं के बजाय मात्र 100 शय्या ही रोगियां के लिए उपलब्ध ह । आइ0ी0यू0 का कार्य बिना मूर्च्छक (एनेसथेटिक) के हो रहा है । सरकार विभिन्न पदों पर जल्द पदस्थापन करे ।

टर्न-10/राजेश/31.3.16

श्री अचमित ऋषिदेव:- अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड में विजय चौक गुणवंती से पूरबटोला हॉसामुशहरी बजरंगवली चौक होकर घनी आबादी से गुजरते हुए एन0एच0 327 E में मिलने वाली कच्ची सड़क में कैथा धार में उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल बनाने एवं सड़क का पक्कीकरण करने की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री सरोज यादव:- अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत कोईलवर बबूरा जमालपुर पथ को फोर लेन बनाया जा रहा है। जिसपर बाईपास का निर्माण जमालपुर में करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अधिसूचना जारी किया गया लेकिन अधिसूचना को अनदेखी कर घनी आबादी से फोर लेन बनाया जा रहा है।

अत: सरकार बाईपास बनाए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा:- अध्यक्ष महोदय, लखीसराय जिलान्तर्गत अमहरा पंचायत में 6, मोरमा पंचायत में 6, बेलौरी पंचायत में 3 एवं बड़हिया प्रखंड, रामगढ़ प्रखंड एवं हलसी प्रखंड में लगाये गए एक भी नलकूप चालू नहीं है।

अत: सरकार से जिले में बंद पड़े सभी नलकूपों को चालू कराने की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, डीजल अनुदान पर जो खर्च होता है,उस राशि को अगर हम नलकूपों की मरम्मति पर लगा दे, तो किसानों को बहुत बड़ा राहत मिलेगा, जमीन की सिंचाई के लिए और बिहार के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होगा, चूंकि गर्मी का मौसम आ रहा है, इसलिए नलकूपों को चालू करना बहुत ही आवश्यक है।

अध्यक्ष:- ध्यानाकर्षण सूचना ।

श्री प्रेम कुमार:- अध्यक्ष महोदय, हमने कहा था छात्रवृत्ति घोटाला हो रहा है पूरे राज्य में ।

अध्यक्ष:- वह तो आप कह चुके।

श्री प्रेम कुमार:- महोदय, मैंने आग्रह किया था लेकिन सरकार का जवाब नहीं आया और 5 डिसमिल जमीन देने की बात भी सरकार ने कही थी, इसकी घोषणा भी की गयी थी, उसी तरह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कन्या विवाह योजना में भी राशि जिलों में नहीं जा रही है, कबीर अन्त्येष्टि योजना की भी राशि नहीं जा रही है जिलों में, इससे गरीबों को काफी कठिनाई हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद है, मैं आपके माध्यम से आग्रह करेंगे महोदय कि गरीबों की जो राशि है, वह जिलों में राशि निश्चित रुप से जाय और छात्रवृत्ति घोटाले की राशि की जांच सी0बी0आई0 से करायी जाय .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष:- आपकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे भी सुनते रहते हैं । ध्यानाकर्षण सूचना ।

ध्यानाकर्षण सूचना

श्री समीर कुमार महासेठ,स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष:- माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अनुपस्थित ।

(व्यवधान)

श्री सदानंद सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री सदानंद सिंह:- अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगॉव के बटेश्वरस्थान, गंगा पंपिंग योजना कार्य वित्तीय वर्ष 1980-81 में प्रारंभ हुआ था। 35 वर्ष बीत जाने के बाद भी मुख्य नहर से अब तक सिंचाई हेतु जल प्रवाह नहीं किया गया है। विगत 2 वर्षो, जून 2014 और जून 2015 से मुख्य नहर से खरीफ फसल हेतु जल प्रवाह करने का लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित किया गया था, परन्तु मुख्य नहर से अब तक सिंचाई हेतु जल प्रवाह नहीं हो पाया है।

अत: जून 2016 से उक्त सिंचाई योजना से खरीफ फसल के लिये जल प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

श्री श्रवण कुमार:- अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बटेश्वरस्थान गंगा पंप नहर योजना के लिए विभागीय पत्रांक-1711 दिनांक 1.6.1978 के माध्यम से 13.88 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ किया गया था। भू-अर्जन में निहित जटिल प्रक्रिया के चलते कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण विभागीय पत्रांक- 1017 दिनांक 21.05.2002 के माध्यम से 188.02 करोड़ रूपये की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय पत्रांक 940 दिनांक 17.06.2008 के माध्यम से 389.31 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

इस योजना पर अद्यतन व्यय 330.58 करोड़ रूपये है तथा योजना के मुख्य अवयवों की भौतिक प्रगति निम्नवत् है:-

1. पम्प हाउस-1- असैनिक कार्य-100 प्रतिशत।

यांत्रिक एवं विद्युत कार्य-80 प्रतिशत

2. पम्प हाउस–11– असैनिक कार्य–100 प्रतिशत।

यांत्रिक एवं विद्युत कार्य–60 प्रतिशत।

3. फीडर चैनल– 100 प्रतिशत

4. उच्चस्तरीय मुख्य नहर–

आर0डी0 0.00 से 29.70– मिट्टी एवं संरचना–100 प्रतिशत।

लाईनिंग–70 प्रतिशत।

आर0डी0 29.70 से 47.10– मिट्टी एवं संरचना– 74 प्रतिशत।

5. वितरण प्रणाली–

i. शाखा नहर–11

आर0डी0 0.00 से 8.20– 100 प्रतिशत

आर0डी0 8.20 से 36.00– 60 प्रतिशत

ii. वंशीपुर माईनर– 13 प्रतिशत।

iii. कासरी वितरणी– 56 प्रतिशत।

iv. कुशापुर माईनर– 37 प्रतिशत।

v. हरिशचन्द्रपुर वितरणी– 78 प्रतिशत।

इस योजनान्तर्गत उच्चस्तीरय मुख्य नहर के आर0डी0 47.10 से 49. 70 तथा आर0डी0 52.30 से 143.50 तक का कार्य झारखण्ड राज्य में अवस्थित है।

इस योजना को त्वरित गति से पूरा करने हेतु वर्ष 2007–08 से AIBP में सम्मिलित करने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के लिए केन्द्रीय जल आयोग के पटना कार्यालय द्वारा वर्ष 2011–12 में 9.00 करोड़ रूपये के केन्द्रीय सहायता की विमुक्ति हेतु अनुशंसा की गई। पुन: केन्द्रीय जल आयोग के नई दिल्ली स्थित कार्यालय के द्वारा वर्ष 2012–13 में 32.40 करोड़ रूपये केन्द्रीय सहायता की विमुक्ति के लिए अनंशंसा किये जाने के बावजूद इस योजना को अबतक न तो AIBP के तहत सम्मिलित किया गया है और न ही कोई केन्द्रीय सहायता की राशि ही विमुक्त की गयी है।

उच्चस्तरीय मुख्य नहर के नि:सृत वितरण प्रणालियों के कार्य में भू–अर्जन के क्रम में भू–स्वामित्व विवाद, संवेदकों द्वारा आरबीट्रेशन ट्रिव्यूनल में याचिका दायर करने तथा स्थानीय जनावरोध की वजह से कार्य की प्रगति बाधित रही है।

इस परियोजनान्तर्गत मुख्यतः 9 वितरणियों में कुल अधियाचित रकवा 604.015 एकड़ के विरूद्व 591.035 एकड़ का अधिपत्य सौंपा जा चुका है। कासरी वितरणी में शेष 12.98 एकड़ भूमि का अर्जन लीज नीति के तहत किया जाना है।

पम्प हाउस–1 के असैनिक कार्य में कतिपय तकनीकी समस्याओं के निराकरण यथा सीपेज नियंत्रण एवं जमा गाद की सफाई में काफी समय लगने के कारण विगत दो वर्षो से मुख्य नहर में जलप्रवाहित करने का प्रयास सफल नहीं हो पाया है। वर्त्तमान में पम्प हाउस–1 में 12 में से 6 अदद पम्पों का अधिष्ठापन किया जा चुका है तथा दोनों पम्प हाउसों में सभी पम्पों का अधिष्ठापन जून, 2016 तक कर लेने का लक्ष्य है।

भू–अधिग्रहण में निहित समस्या के समाधान हेतु लाभांवितों को भुगतेय राशि को न्यायालय में जमा कराने हेतु निदेशक, भू–अर्जन के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पम्प हाउस में पम्पों के अधिष्ठपापन की कार्रवाई भी प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। उक्त वर्णित स्थिति में खरीफ 2017 में इस योजना से कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

टर्न–11/कृष्ण/32.03.2016

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सदानंद सिंह, आप पूरक पूछियेगा । माननीय नेता,प्रतिपक्ष ।

श्री प्रेम कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजधानी सहित राज्य के कई स्थानों से शिकायत मिल रही है, लगातार छात्रवृत्ति स्कैम हो रहा है। हमलोगों ने सरकार से आग्रह किया है कि सरकार इसकी जांच सी0बी0आई0 से कराये । दूसरा विषय था कि सरकार की लगातार यह घोषणा है कि राज्य के जो भूमिहीन गरीब हैं, उनको 5 डिसमिल जमीन दिया जायेगा । फिर मुख्यमंत्री कन्या विवाह, कबीर अंत्येष्टि योजना, वृद्धावस्था पेंशन, राशि दोनों की नहीं जा पा रही है । इससे गरीबों का नुकसान हो रहा है । हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि घाटाले की जांच सी0बी0आई0 से करायें और साथ–साथ सरकार ने जो 5

डिसमिल जमीन देने का एलान किया है, एक समय-सीमा के अंदर उपलब्ध करायें, हम यही कह रहे हैं महोदय ।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जाती है पोस्ट मैट्रिक, उसके संबंध में शिकायतें मिली थीं और कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी । प्रथम द्रष्टया हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि इसमें गड़बड़ी हुई है । इसलिए इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इसकी जांच विजिलेंस से कराई जा रही है और जांच बिल्कुल चल रही है । तेजी से जांच करके इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई होगी, जिम्मेवारी का निर्धारण होगा और इसके लिये दोनों आस्पेक्ट हैं, प्रशासनिक कार्रवाई भी और साथ-साथ इसमें जो क्रिमिनल ऐक्ट है, उस में भी पूरी जबर्दस्त कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष : अब तो हो गया । सरकार ने आपकी बात मान ली प्रेम बाबू ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री राजेश जी, आप बैठिये ।

श्री सदानंद सिंह : माननीय नेता,प्रतिपक्ष जी आप बैठ जाईये । आपका उत्तर मिल गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपकी बातों के महत्व को ध्यान में रखते हुये सरकार ने और सदन नेता ने रेस्पौंड किया है । अब इस पर वाद-विवाद तो होगा नहीं ।

आप पूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री सदानंद सिंह : महोदय, क्या सरकार बतायेगी कि तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी जनवरी,2015 में उस स्थल पर जाकर जून,2015 में खरीफ में जलापूर्त्ति करने का निर्देश दिया था । क्या सरकार बतायेगी कि उसका कार्यान्वयन नहीं होने या विलंब होने का कारण क्या है और क्या जून,2016 तक खरीफ के लिए मुख्य नहर से पानी छोड़ेंगे ?

श्री श्रवण कुमार : महोदय, माननीय सदस्य सदानन्द बाबू पुराने सदस्य है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सदानंद बाबू पुराने सदस्य ही नहीं हैं, पुराने सिंचाई मंत्री भी हैं।

श्री श्रवण कुमार : महोदय,विस्तार से माननीय सदस्य के प्रश्न का, ध्यानाकर्षण का उत्तर दिया गया है और माननीय सदस्य को मालूम भी है, वे उसी क्षेत्र से आते हैं, महोदय, जमीन एक जटिल समस्या है, उसके अधिग्रहण की प्रक्रिया है और

प्रक्रिया में बहुत सारी बाधायें उत्पन्न होती रहती है, न्यायालय में भी लोग चले जाते हैं और अगर माननीय सदस्य की चिन्ता इतनी है तो माननीय सदस्य अगर थोड़ा सरकार को मदद करें,जो लोग न्यायालय में गये हैं और जहां-जहां भूमि विवाद है, अगर उनको बैठा करके, समझा करके अगर जमीन का मामला हल कर दें तो समय सीमा के अंदर इस योजना को हमलोग पूरा कर सकते हैं।

श्री सदानंद सिंह : महोदय, मुख्य नहर में कहीं कोई भूमि विवाद नहीं है । हम आश्वस्त करते हैं माननीय मंत्री जी को कि जहां भी वितरणी और मैनर्स में भूमि विवाद की बात आयेगी, उसको सुलझाने में भरसक हम प्रयास करेंगे । लेकिन मुख्य नहर में कहीं विवाद नहीं है । मुख्य नहर से पानी छोड़ने की बात जून,2016 को सुनिश्चित करने की बात कहनी चाहिए थी ।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, जमीन का विवाद उसमें कहीं नही है। किसानों के लिये यह एक बहुत अच्छी योजना है । इसलिए आपके माध्यम से आग्रह है कि माननीय मंत्री इसको अतिशीघ्र बनवा दें ता बहुत अच्छी बात होगी किसानों के लिये महत्वहपूर्ण योजना है ।

श्री श्रवण कुमार : महोदय, यह बात न्यायालय तक पहुंच गयी है और सरकार ने तो बढ़ चढ़कर फैसला लिया है कि जो भूमि विवाद है, जो मुकदमा दायर है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, सदानंद बाबू भी आपको सहयोग देने के लिये तैयार हैं, उनका सहयोग लेकर मामले का निराकरण पहले कराईये ।

श्री श्रवण कुमार : ठीक है महोदय ।

श्री सदानंद सिंह : महोदय, एक आखरी प्रश्न यह है कि तत्कालीन मंत्री ने जो समीक्षा की थी, उस समय कहीं भूमि विवाद की बात नहीं आयी थी । हम समझते हैं कि इसको कहीं न कहीं किसी गलत ढंग से इस बात को कही जा रही है । भूमि विवाद की बात कहीं नहीं है ।

प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य ।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

''यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन 01 अप्रील,2016 से 31 मार्च,2018 तक के लिये बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन

नियमावली के नियम क्रमश : 237(2), 240(2) एवं 241 (क) (1) के अनुसार निर्वाचन पद्धति से न होकर मनोनयन पद्धति से हो एवं अध्यक्ष,बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें तथा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 237(2), 240(2) एवं 241 (क) (1) के आवश्यक अंश केवल इस हद तक शिथिल किये जाएं ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन 01 अप्रील,2016 से 31 मार्च,2018 तक के लिये बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमश : 237(2), 240(2) एवं 241 (क) (1) के अनुसार निर्वाचन पद्धति से न होकर मनोनयन पद्धति से हो एवं अध्यक्ष,बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें तथा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 237(2), 240(2) एवं 241 (क) (1) के आवश्यक अंश केवल इस हद तक शिथिल किये जाएं ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री संसदीय कार्य

श्री श्रवण कुमार अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हं कि :-

''यह सदन बिहार विधान परिषद् से यह सिफारिश करता है कि वह इस सदन के 01 अप्रील,2016 से 31 मार्च,2018 तक के लिए लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं प्राक्कलन समिति के सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमश : चार, तीन एवं छः सदस्यों को मनोनित करने के लिए सहमत हो तथा बिहार विधान परिषद् सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि : -

''यह सदन बिहार विधान परिषद् से यह सिफारिश करता है कि वह इस सदन के 01 अप्रील,2016 से 31 मार्च,2018 तक के लिए लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं प्राक्कलन समिति के सह सदस्यों

के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमश : चार, तीन एवं छः सदस्यों को मनोनित करने के लिए सहमत हो तथा बिहार विधान परिषद् सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टर्न-12/सत्येन्द्र/31-3-16

अध्यक्ष: माननीय मंत्री,संसदीय कार्य विभाग।

श्री श्रवण कुमार: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-4(i), 4(ii), 5(2), 6(1)(ii), 6(3)(क), 6(5), 7, 21(1), 23, 82(2), 83(2), 145, 167, 176(5), 220(1), 225(11), 231(7), 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 256, 258, 272(2), 292(क)(3), 292(क)(3)(ख) एवं 292(च)(iii)(ग) में संशोधन के प्रस्ताव से संबंधित षोडश बिहार विधान सभा की नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन दिनांक 29.03.2016 को सदन पटल पर रखा गया था । नियमावली के नियम-287(3) के तहत किसी भी माननीय सदस्य से संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

अतएव नियमावली के नियम-288 के परन्तुक के अन्तर्गत संशोधन के प्रस्ताव को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में अंगीकार करने का उपबंध किया जाय ।'

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-4(i), 4(ii), 5(2), 6(1)(ii), 6(3)(क), 6(5), 7, 21(1), 23, 82(2), 83(2), 145, 167, 176(5), 220(1), 225(11), 231(7), 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 256, 258, 272(2), 292(क)(3), 292(क)(3)(ख) एवं 292(च)(iii)(ग) में संशोधन के प्रस्ताव से संबंधित षोडश बिहार विधान सभा की नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन दिनांक 29.03.2016 को सदन पटल पर रखा गया था । नियमावली के नियम-287(3) के तहत किसी भी माननीय सदस्य से संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

अतएव नियमावली के नियम-288 के परन्तुक के अन्तर्गत संशोधन के प्रस्ताव को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में अंगीकार करने का उपबंध किया जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा मेज पर कागजात को रखा जाना

अध्यक्ष: माननीय प्रभारी मंत्री,वाणिज्य कर विभाग।

श्री श्रवण कुमार: अध्यक्ष महोदय,मैं बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-93(3) एवं 99 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.- 37, 38, दिनांक-17.02.2016/एस.ओ.-32, 33, दिनांक-08.02.2016/एस.ओ.-22, 23, दिनांक- 02.02.2016/एस.ओ.-8, 9, 10, 11, 12, 13, दिनांक- 13.01. 2016/एस.ओ.-03, दिनांक- 15.01.2015/एस.ओ.- 10, 12, 14, दिनांक- 22.01.2015/एस.ओ.-21, दिनांक-09.03.2015/एस.ओ.-66, दिनांक-28.04. 2015/ अधिसूचना संख्या-3605, दिनांक- 10.07.2015/एस.ओ.-167, दिनांक-21.07.2015/एस.ओ.-199, दिनांक- 27.08.2015/एस.ओ.-211, दिनांक-08.09.2015/ अधिसूचना संख्या-5922, दिनांक- 07.10.2015/ एस.ओ. -205, 207, 209, दिनांक- 03.09.2015/ एस.ओ.-209 का शुद्धि पत्र ज्ञापांक-5049, दिनांक- 08.09.2015/एस.ओ.-189, दिनांक-03.08.2015/एस. ओ.-357, दिनांक-14.12.2015/ अधिसूचना संख्या-7022, दिनांक-18.12. 2015/एस.ओ.-504, दिनांक- 03.02.2014/ अधिसूचना संख्या-478, दिनांक- 11.02.2013/617, दिनांक-25.02.2013/988, दिनांक-22.03.2013/ 1161, 1162, दिनांक-08.04.2013/1193, 1203, 1204, दिनांक-10.04.2013/1506, 1509, दिनांक- 12.04.2012/5312, दिनांक-04.07.2012/7571, 7572, दिनांक- 27.12.2012/ अधिसूचना संख्या- 7571 का शुद्धि पत्र सं0-214, दिनांक-22.01.2013/5350, दिनांक-05.07.2012/5410, दिनांक-11.07. 2012/5441, दिनांक-12.07.2012/6083, दिनांक-29.08.2012/6528, 6529, दिनांक- 03.10.2012/6598, दिनांक- 08.10.2012/6888, दिनांक-30.10. 2012/7275, दिनांक-06.12.2012 एवं 7276, दिनांक- 06.12.2012 की प्रति को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्षः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम,2005 की धारा-93(3)एवं 99 के तहत् माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा उपस्थापित सभी अधिसूचनाओं की प्रति सदन के पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी।

माननीय प्रभारी मंत्री,वाणिज्य कर विभाग।

श्री श्रवण कुमारः अध्यक्ष महोदय,मैं बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-20 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-26, 27 दिनांक 02.02.2016/एस.ओ.- 74, दिनांक-15.05.2015 तथा एस.ओ.- 219 एवं 220 दिनांक-27.11.2012 की प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्षः बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-20 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-26, 27 दिनांक 02.02. 2016/एस.ओ.- 74, दिनांक-15.05.2015 तथा एस.ओ.- 219 एवं 220 दिनांक-27.11.2012 की प्रति सदन के पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी।

माननीय प्रभारी मंत्री,वाणिज्य कर विभाग।

श्री श्रवण कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा-18(2) के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-28, 29, 30 एवं 31 दिनांक 02.02.2016 तथा एस.ओ.-217 दिनांक- 21.11.2012 की प्रति को सदन के पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्षः बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा-18(2) के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.- 28, 29, 30 एवं 31 दिनांक 02.02.2016 तथा एस.ओ.-217 दिनांक- 21.11.2012 की प्रति सदन के पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी।

टर्न-13/मधुप/31.3.16

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा-9(4) के तहत् अधिसूचना संख्या- एस.ओ.-16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 दिनांक- 20.01.

2016/एस.ओ..-169, दिनांक-21.07.2015/एस.ओ.-76, दिनांक- 15.05. 2015/एस.ओ.-64, दिनांक- 28.04.2015 तथा एस.ओ.-62, दिनांक- 28.04.2015 की प्रति को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा-9(4) के तहत् माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा उपस्थापित सभी अधिसूचनाओं की प्रति सदन के पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39(2) के तहत् बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ।

श्री हरिनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति की हैसियत से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत् बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड से संबंधित भारत से नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2011-12 की कंडिका संख्या-4.3 पर समिति का 185वाँ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(अन्तराल)

टर्न-14/आजाद/31.03.2016

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक,2016

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

'' बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक,2016 को पुर:स्थापति करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक,2016 को पुर:स्थापति करने की अनुमति दी जाय । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री नीतीश कुमार : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक,2016 पर विचार हो । ''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसपर जनमत जानने का प्रस्ताव आया है । माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद, श्री विद्यासागर केशरी, श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री तारकिशोर प्रसाद : मूव करेंगे सर ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

''बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक,2016 दिनांक 30जून, 2016 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो । ''

अध्यक्ष महोदय, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की आवश्यकता बिहार में थी, इसे हम सभी भी मानते हैं । पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मियों का इसमें चयन होगा और राज्य सरकार ने पुलिस सेवा में 35 प्रतिशत महिलाओं को भी आरक्षण दिया है और लगभग 50 प्रतिशत की आबादी महिलाओं की पूरे राज्य में है और उनके हितों को नकारा नहीं जा सकता है । लेकिन इसमें जो आयोग का गठन हुआ है, उसमें ए0डी0जी0पी0, डी0जी0पी0 स्तर के अधिकारी अध्यक्ष रहेंगे और इसमें फिर कई लोग सदस्य के रूप में नामित होंगे। उसमें सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि को रखा है, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है और सरकार ने इसमें एस0सी0,एस0टी0 के प्रतिनिधि को भी रखा है । लेकिन जब हम आधी आबादी के हितों को देख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को देख रहे हैं तो इसमें एक महिला प्रतिनिधि इसमें प्रतिनियुक्त हो या मनोनीत हो, यह आवश्यक है और इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार ने इसको बड़ी हड़बड़ी में इस विधेयक को लायी है । इसलिए तीन महीना तक इसे जनता के बीच में परिचारित होना चाहिए और जनता के राय को लेना चाहिए । इसलिए मेरा आग्रह है, सरकार से भी आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इसे तीन महीने के लिए राज्य में परिचारित करने हेतु रखा जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक,2016 दिनांक 30जून, 2016 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी एवं श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री संजय सरावगी : मूव करेंगे सर ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक,2016 संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह छः माह तक इस विधेयक के प्रत्येक पहलू पर विस्तृत एवं गहन विमर्श कर अपने अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन दे ।''

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक,2016 लाया है तो ठीक है, पुलिस की बहाली के लिए अलग से आयोग बन रहा है तो अच्छी बात है, बनना चाहिए लेकिन इतनी हड़बड़ी क्या है ? तारकिशोर जी ने बताया कि जब इसमें महिलाओं का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी सेवाओं में 35 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देंगे तो आयोग बन रहा है, इसमें एक भी महिला नहीं हैं, 35 प्रतिशत आयोग में भी सदस्य के रूप में महिलाओं की प्रतिभागिता होनी चाहिए क्योंकि महिलाओं की आधी आबादी है और हमलोग महिला सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं तो होना भी चाहिए, आधी आबादी को छोड़ करके कैसे चला जाय । इसमें ऐसी-ऐसी कई खामियां है, इसलिए निश्चित रूप से जो है, इसको संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाय और वह प्रवर समिति अनुशंसा करे । ठीक है, यह अच्छा कदम है लेकिन इसमें क्या दिक्कत है इसको प्रवर समिति को सौंपने में? प्रवर समिति जो अनुशंसायें करे, सरकार उसको लागू करे अध्यक्ष महोदय ।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को आप देखेंगे तो यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अध्यक्ष और चारों सदस्य पुरूष होंगे । इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसमें सदस्य महिला भी हो सकती है, पुरूष भी हो सकते हैं । आपने ठीक कहा है, इस बात का हमेशा ख्याल रखा जायेगा कि पुलिस सेवाओं में सिपाही और अवर निरीक्षक के पद पर 35 प्रतिशत का आरक्षण तो पहले ही दिया जा चुका है । बाकी सरकारी सेवाओं में भी, राज्य सरकार की सेवाओं में भी 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए किया जा चुका है । इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखा जायेगा कि अब इस प्रकार का कोई भी बॉडी बने तो उसमें इस बात का ख्याल रखा जाय कि महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो । इसलिए आप निश्चिंत रहिए ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो दो लाईन का प्रस्ताव पढ़ कर इसको संशोधित कर दिया जाय क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इसका ख्याल रखा जायेगा । महिलाओं का जो है, इसको कर दिया जाय, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी सहमत हैं । यह हो जाना चाहिए ।

अध्यक्ष : आपने जो कहा है, उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ताईद की है और कहा है कि भविष्य में इसका ख्याल भी रखा जायेगा । अब तो आपको अपना प्रस्ताव वापस लेने की बारी है ।

श्री संजय सरावगी : निश्चित रूप से हुजूर । माननीय मुख्यमंत्री जी कहें कि इसे संशोधित किया गया 35 प्रतिशत महिलाओं का, हम एकदम वापस ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी कहें, हम निश्चित रूप से वापस ले लेंगे । यह संशोधन कर दिया जाय हुजूर, निश्चित रूप से वापस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :-

'' कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक,2016 संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह छः माह तक इस विधेयक के प्रत्येक पहलू पर विस्तृत एवं गहन विमर्श कर अपने अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन दे । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक,2016 पर विचार हो । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

खंड 2 से 18 तक कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :-

''कि खंड 2 से 18 तक इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 18 तक इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :-

''कि खंड-1 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :-

''कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :-

''कि नाम इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बनी ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब मैं स्वीकृति का प्रस्ताव लेता हूँ ।

माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री नीतीश कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

''कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक,2016 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य कुछ विचार रखना चाहते हैं तो रखें ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, राज्य सरकार के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक,2016 । मेरा महोदय कहना है कि जो आयोग बनाया जा रहा है, उसमें अल्पसंख्यक, एस0सी0, एस0टी0 का प्रावधान किया गया है । हमारा महोदय इतना ही आग्रह है कि राज्य में लगभग 45 फिसदी अतिपिछड़ी जातियों का आबादी है । इसमें मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप आयोग बना रहे हैं, आयोग में जिस तरह से एस0सी0, एस0टी0, अल्पसंख्यक को रखा है, इसके लिए आपको धन्यवाद लेकिन हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि इसमें निश्चित तौर पर अतिपिछड़ा वर्ग के लोगों को भी आयोग के सदस्य के रूप में शामिल किया जाय ।

अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, नियुक्ति के लिए बहुत सा आयोग बिहार में पूर्व से कार्यरत हैं जो समय-समय पर नियुक्ति करती है । सरकार ने पूर्व से कार्यरत नियुक्ति के चयन आयोग के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है ।

..... क्रमशः .....

टर्न-15/अंजनी/दि0 31.03.16

क्रमशः....

श्री विद्या सागर केशरी : कौन-सी ऐसी स्थिति आ पड़ी कि जो पुनर्गठन की जरूरत महसूस की गयी, क्या पहले के चयन आयोग में धांधली को सरकार स्वीकारती है ? बिहार पुलिस सेवा आयोग विधेयक नया आयोग सरकार लायी है, इससे सरकार की मंशा पर प्रश्नचिंह लग रहा है ? विधेयक की प्रति एक दिन पूर्व दिया जा रहा है, माननीय सदस्यों को विधेयक की प्रति पढ़ने का मौका नहीं दिया गया । बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग भी बिहार में कार्यरत है, जिससे परीक्षा लिया जाता है तथा रिजल्ट प्रकाशित होने में विलम्ब हो रहा है, उसे प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । सभी मामले प्रायः कोर्ट में चले जाते हैं, विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में पड़ जाता है, इसका भी हाल क्या यही होने वाला है? जल्दी में यह

प्रस्ताव रखा गया है, जो काफी त्रुटिपूर्ण है । इस आयोग के द्वारा उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की संभावना नहीं दिखती, इसमें पारदर्शिता की जरूरत है । महोदय, एक बात और कहना चाहते हैं कि सरकार ने कहा है कि 15 मार्च से सभी थाने में अलग से लॉ एण्ड और्डर तथा अनुसंधान किया जायेगा, जबकि प्रदेश में लगभग 200 पुलिस इन्सपेक्टर बगैर किसी दायित्व के पुलिस लाईन या ऑफिस में बेकार बैठे हुए हैं । इनको पुलिस स्टेशन में इन्सपेक्टर की स्थापना की जानी चाहिए ।

अध्यक्ष : केसरी जी, ठीक है । माननीय मुख्यमंत्री ।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विभिन्न विभागों के समूह-ग के पदों पर चयन किया जाता है और तदोपरांत नियुक्ति होती है । जो पुलिस सेवा का विस्तार हो रहा है, पुलिस का पूरा विस्तार हो रहा है, वैसी परिस्थिति में नये पद भी सृजित हो रहे हैं और सेवा-निवृति के उपरान्त जो पद रिक्त होते हैं प्रति वर्ष, उन पदों को भी भरना होता है । तो देखा यह गया है अनुभव के आधार पर कि कर्मचारी चयन आयोग के पास इतना कार्य है कि वह काम समय से पूरा हो नहीं पा रहा है और यही कारण है कि तकनीकी चयन आयोग का भी गठन किया गया है, अभी वह फंक्शनल नहीं हुआ है लेकिन उसको भी फंक्शनल करने की कोशश की जा रही है । उसी प्रकार से पुलिस सेवा में जो नियुक्ति होती है, उसमें थोड़ा बाकी सेवाओं से अन्तर है । इसमें कई प्रकार की, शारीरिक माप की जांच तथा दूसरे प्रकार की भी जांच की अनिवार्यता होती है । तो इस प्रकार से जितनी सेवायें हैं, चाहे वह पुलिस की हो या अन्य प्रकार की, खास करके जैसे वन विभाग में है, वनपाल की भी नियुक्ति होती है या कारा में, जेल के सेवाओं में जो सहायक कारा के पदाधिकारी हैं तो इस प्रकार से अन्य सेवाओं में यह देखा जा रहा है, आबकारी में तो कई जगहों पर ऐसे लोग होते हैं और जो खास करके कई जगहों पर आप देखते होंगें कि वे भी वर्दीधारी होते हैं तो उनके चयन के लिए पुलिस सेवाओं के चयन के साथ-साथ उनके चयन के लिए भी एक आयोग का गठन होना चाहिए ताकि तेजी से यह काम हो सके । बाकी सेवाओं में चयन की प्रक्रिया होती है, उसमें इस प्रकार की शारीरिक माप की जांच की या दूसरे प्रकार की दक्षता की परीक्षा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है । यह अलग प्रकार की सेवा है, इसलिए इसपर एक

विचार-विमर्श वर्षों से चल रहा था और अंततोगत्वा यह निर्णय हुआ कि जो कमी है, पदों की जो रिक्तियां रह जा रही हैं तो उनको ससमय भरने के लिए जरूरी है कि एक अलग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का गठन किया जाय और इसी उद्देश्य से इस विधेयक को लाया गया है । एक अलग आयोग का गठन किया जायेगा । उसमें पुलिस के पदाधिकारी रहेंगे अध्यक्ष के पद पर, दो सदस्य भी पुलिस सेवा के होंगे लेकिन बाकी के दो सदस्य अन्य सेवाओं के होंगे । जैसे मान लिजिए कि वन विभाग का भी है, हमलोगों को इसमें एक्साइज के भी लोगों को देखना पड़ेगा, तो इस प्रकार से अन्य सेवाओं के लोगों को भी इसमें आयोग के सदस्य के रूप में रखा जायेगा । अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे, जिसके बारे में अभी चर्चा हुई है । एक तो उसमें से इस बात की गारंटी होगी कि एक कम-से-कम अनुसूचित जाति, जनजाति के हों और एक अल्पसंख्यक समाज के । जहां तक महिलाओं का प्रश्न है, इसमें तो कोई उल्लेख ही नहीं है कि ये सदस्य पुरूष होंगे या स्त्री होंगे या सभी सदस्य महिलायें होंगी । महिलाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा ही जाता है । जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब 35 प्रतिशत् महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है तो महिलायें भी रहेंगी और इस बात का हमेशा ख्याल रखा जायेगा कि जब भी इसका गठन होता है आयोग का तो उसमें जरूर महिला रहे कोई-न-कोई । जो अनिवार्यता है जिस प्रकार की योग्यता की अवर सेवा आयोग के सदस्य होने के लिए या अध्यक्ष होने के लिए, उसको देखते हुए ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ पड़ेगी तो यह आवश्यकता है और इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही यह विधेयक लाया गया है वेकेन्सी को ससमय भरने के लिए और जिन पदों का ग्रेड पे-4200/- रूपये का है उन पदों पर चयन इसके माध्यम से हो सकेगा । अब इसमें पद की सूची भी दी गयी है अनुसूची-1 में । पुलिस अवर निरीक्षक, प्रारक्ष अवर निरीक्षक(परिचारी), कम्पनी कमांडर (गृह रक्षा वाहिनी), फायर स्टेशन ऑफिसर (अग्निशाम पदाधिकारी), आशु अवर निरीक्षक, आशु सहायक अवर निरीक्षक, टंकक सहायक अवर निरीक्षक, आशु सहायक अवर निरीक्षक, टंकक सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक(एम0कैडर), सहायक अवर निरीक्षक(एम0कैडर) ये सब विशेष शाखा में है गृह (आरक्षी) विभाग में । लिपिक, पुलिस विभाग के क्षेत्रीय स्थापनों के लिए अवर निरीक्षक(बेतार), अवर निरीक्षक(तकनीकी), सहायक अधीक्षक(गृह

कारा) जिसका हमने कहा कि एस्सिटेंट जेल सुपरिंटेंडेंट की भी बहाली होगी, निगरानी विभाग के लिए पुलिस अवर निरीक्षक, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में अवर निरीक्षक, वन एवं पर्यावरण विभाग के वनपाल, परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक । तो इस प्रकार के जो पद हैं जिसकी सूची दी गयी है अनुसूची-1 में, उनकी नियुक्ति का कार्य इस पुलिस अवर सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया जायेगा और इसके अलावे राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि अधिसूचना के द्वारा इस सूची में से किसी को विलोपित भी किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर नये पदों को इसमें शामिल किया जा सकता है । तो इससे बहुत सहूलियत होगी, रिक्तियों को भरने में सुविधा होगी और जैसाकि मैने पहले कहा कि अलग किस्म की पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है इसमें, तो उसके चलते यह आवश्यक है । मैं समझता हूँ कि इसको जनमत जानने के लि परिचारित कीजियेगा तो उतना ही डिले होगा । जनमत तो इसके कोई प्रतिकूल है नहीं, जनमत तो यही चाहता है कि अगर कोई वेकेंसी है तो उसको यथाशीघ्र भरा जाय और जहां आवश्यकता जिस प्रकार से पड़ रही है और जिस तरह का समाज है और फिर जो राष्ट्रीय नौर्म्स हमलोगों का है देश में कि कितनी आबादी पर पुलिसकर्मी होना चाहिए, उसी के हिसाब से सब-इन्सपेक्टर होंगे, तो इसको देखते हुए, आवश्यकता तो दिनानुदिन बढ़ती ही जायेगी, लोग सेवा-निवृत्त होते जायेंगे, इसलिए आवश्यक है कि यह काम नियमित तौर पर होना चाहिए । जो हमलोगों के यहां कर्मचारी चयन आयोग है, उसके पास काफी लम्बी सूची हो गयी है, इसलिए इसको अलग-अलग आयोग बनाकर हमलोग चाहते हैं कि तेजी से नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो । एक समान योग्यता की जहां आवश्यकता हो, अर्हता अगर हो किसी पद के लिए, आप तभी नियुक्ति होइयेगा कि जब बेसिक क्वालिफिकेसन कुछ रहता है निर्धारित तो समान बेसिक क्वालिफिकेशन वाले जितने भी पद हैं, अलग-अलग विभागों के भी हो सकते हैं, उन सभी पदों के लिए आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा ताकि एक ही परीक्षा से, अब तो हर प्रकार का चयन हो सकता है और लोग जब एप्लाई करते हैं तो उसी समय लोगों से च्वाईस मांगा जायेगा कि पहला च्वाईस आपका क्या है, दूसरा च्वाईस आपका क्या है ?

क्रमशः

टर्न-16/शंभु/31.03.16

श्री नीतीश कुमार : क्रमशः.....इसलिए बार-बार हर विभाग की रिक्ति के लिए अलग-अलग परीक्षा का आयोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, संयुक्त परीक्षा आयोजित हो जायेगी । जहां पर समान क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है तो वैसी परिस्थिति में इस काम में तेजी आयेगी और नियमित तौर पर हर साल तो लोगों का रिटायरमेंट होना ही है इसलिए सबको मालूम है कि वैकेन्सी होगी। हमने लोक सेवा आयोग के साथ भी, सामान्य प्रशासन विभाग के साथ बैठक की है तो लोक सेवा आयेाग के लिए भी या कर्मचारी चयन आयोग के लिए भी हमलोगों ने परामर्श दिया है कि यही प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए। जहां बेसिक क्वालिफिकेशन जितने पदों के लिए सरकार की अलग-अलग सेवाओं के लिए एक है वैसे तमाम पदों के लिए एक ही संयुक्त परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए ताकि उसमें आप जो मैरिट लिस्ट बनता है, उसके आधार पर चयन कर सकें और लोगों का च्वाइस भी आता है। इससे नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी आयेगी, पारदर्शिता आयेगी और दूसरी बात यह है कि नियमित तौर पर परीक्षा होगी। हमने यह भी कहा है कि यह जो हमारे यहां विभिन्न आयोग हैं उनको अपना कैलेंडर बना लेना चाहिए, हर वर्ष के लिए और कब एग्जामिनेशन होगा इसकी तिथि निर्धारित होना चाहिए, चूंकि हमारे जो युवा हैं उनको मालूम रहना चाहिए कि जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है- उसकी परीक्षा कब होती है सबको मालूम है, उसी तरह से लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा कब होगी साल में और नियमित तौर पर उसके पूर्व अलग-अलग विभागों के द्वारा जितने पदों की नियुक्ति के लिए रिक्वीजिशन भेजा जायेगा उन तमाम पदों के लिए एक निर्धारित तिथि हो और उस समय तक जितने विभागों का आ गया उन सभी विभागों की परीक्षा हो जायेगी तो सभी लोगों के लिए वह चयन की परीक्षा उपयोगी हो जायेगी। यह प्रयास हमलोगों ने किया है। इसके अलावे जो महसूस किया गया कि इस प्रकार की खासकर के तकनीकी सेवाओं के लिए अलग बनाना जरूरी है, उसी प्रकार से पुलिस सेवाओं के लिए

और खासकर मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार से वह वर्दीधारी सेवा है। वैसे लोगों को और पुलिस से संबंधित अन्य प्रकार की चाहे वह इन्टेलीजेंस का हो, विजिलेन्स का हो, वायरलेस का हो तो सब प्रकार के लोगों की परीक्षा होगी और हर वर्ष इनका भी कैलेंडर प्रकाशित हो, एनुअल कैलेंडर कि कब लिखित परीक्षा होगी ताकि युवाओं को मालूम रहे और उनको किसी प्रकार की गलतफहमी न रहे। वर्ना, हर रोज वह इंतजार करते हैं कि आज किसकी वैकेन्सी निकली, कब परीक्षा होगी तो एक युवा भी अपना शेड्यूल तय कर सकता है और जब भी यह कैलेंडर बने तो इसमें इस बात का ख्याल रखा जायेगा कि जो पूरे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है संघ लोक सेवा आयेाग उसके साथ किसी की तारीख टकराये नहीं ताकि किसी भी युवा को अवसर से वंचित नहीं होना पड़े तो यह सब मकसद है, इसके पीछे पृष्ठभूमि है। अभी माननीय सदस्य, जो इस विधेयक से उसका कोई मतलब नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने सदन को दी है कि आपका जो पुलिस एक्ट है उसके प्रावधान- इन्वेस्टीगेशन का काम, अन्वेषण का कार्य और कानून-व्यवस्था के संधारण का काम, लॉ एंड आर्डर के मेन्टेनेंस का काम ये दोनों काम का दायित्व अलग-अलग निर्धारित कर दिया जाना चाहिए, किया जायेगा उसमें प्रोवीजन । माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है निरंतर और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह निदेश दिया है कि कानून में यह प्रोवीजन है इसको आप विभिन्न राज्यों, लगभग बिहार तो एक पार्टी है ही और राज्य भी हैं, तो हमलोग यह चाहते हैं कि इसको पूरे तौर पर लागू करें, इनफोर्स करें और इसके लिए पूरी कार्रवाई तेजी से हो रही है। उसके लिए गाइड लाइन तैयार किया गया है और जो व्यक्ति अन्वेषण का कार्य करेगा थाने में उसको लॉ एंड आर्डर की ड्यूटी में नही लगाया जायेगा। वर्ना, आज होता है कि सबके पास सब तरह की जवाबदेही है- नतीजा है कि कहीं लॉ एंड आर्डर की समस्या आयी उसमें किसी दारोगा को जाना है तो फिर अन्वेषण का कार्य कहता है कि पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते हैं कि 90 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर विभिन्न प्रकार के मामलों में चार्जशीट दायर करना है अदालत में, वह समय पर नहीं हो पाता है इसके चलते अभियुक्तों को उसका तकनीकी तौर पर लाभ मिल जाता है। इसलिए हर सूरतेहाल में इसकी शुरूआत हमलोगों ने की थी- पटना शहर से की, कुछ

थानों से की, फिर पूरे शहर में किया और इस प्रकार से अन्य स्थानों पर किया गया, लेकिन अब हमलोगों ने यह तय कर दिया है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर इस वर्ष यानी इस वर्ष के पूर्वार्द्ध में यह पूरे तौर पर लागू हो जायेगा और प्रत्येक थाने में अनुसंधान की जिम्मेवारी अलग, लॉ एंड आर्डर की जिम्मेवारी अलग, यह पूरे तौर पर निर्धारित होगा और वह विधि सम्मत कार्य है। एक्ट का प्रोवीजन है उसका ही हमलोग सही ढंग से पालन करा पायेंगे। इसलिए इस विषय से संबंधित नहीं था, लेकिन उन्होंने इस सवाल को उठा दिया तो मैंने मुनासिब समझा कि यह एक ऐसा प्रश्न है जो जनहित से जुड़ा हुआ है और सब लोगों को इसकी जानकारी रहनी चाहिए, खासकर लॉ मेकर्स हमलोग जो यहां बैठकर कानून बनाते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं उनको तो इस विषय की जानकारी अवश्य रहनी चाहिए इसलिए वह काम भी किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यही उद्देश्य है त्वरित ढंग से चयन की प्रक्रिया पूरी हो, पारदर्शी ढंग से इसकी प्रक्रिया पूरी हो, समय सीमा के अंदर हो, नियमित तौर पर हर साल के निर्धारित कैलेंडर के मुताबिक चयन की प्रक्रिया पूरी की जाय इसलिए इस विधेयक को लाया गया है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, दरख्वास्त करूँगा कि इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि इसमें कोई दो राय हो सकती है। इसलिए सबलोग मिलकर इसको पारित करें, यही मेरा आग्रह है।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, अति पिछड़ा को भी इसमें लिया जाय।

श्री प्रेम कुमार : अति पिछड़ा.....हमने एक आग्रह किया था.....

अध्यक्ष : प्रेम बाबू, बैठिए न। अतिपिछड़ा वाले मामले में भी.....

श्री नीतीश कुमार : आयोग का जब भी गठन होता है, आप साथ रहे हैं, हमलोग हमेशा इस बात पर कॉन्शस रहते हैं। लेकिन एस0सी0/एस0टी0 का जो स्टेटस है उसमें इस बात को लिखना एक तरह से कहिये समीचीन होता है और बाकी बहुत सारी चीजें तो की जाती है। अतिपिछड़ा का कल्याण नहीं होगा तो किसका कल्याण होगा ? इसलिए इस बात को उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई दो राय है क्या ? भावना से काम चलता है।

अध्यक्ष : और प्रेम बाबू.....

श्री प्रेम कुमार : हमलोग स्वागत कर रहे हैं महोदय, बहुत अच्छी पहल है। जिस तरह से राज्य के अंदर में अपराध की स्थिति है, मुख्यमंत्री जी ने चिंता किया है, आयोग को बनाया है इसका एक अच्छा फल आयेगा, लेकिन हमलोग इतना ही चाहते

हैं कि आयोग में आपने अल्पसंख्यक, महादलित, शेड्यूल ट्राइब को रखा है तो पिछड़ा को स्थान दे दीजिए, क्या दिक्कत है ?

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक, 2016 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक, 2016 स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : अब बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2016 लिया जायेगा। माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग।

बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2016

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थपित हुआ। अब विचार का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री।

विचार का प्रस्ताव

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2016 पर विचार हो।''

टर्न-17/अशोक/31.03.2016

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित करने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या मा. सदस्य श्री अजय कुमार सिंह, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे या वापस लेंगे ?

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

" कि बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2016 " पर विचार हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खण्डशः लेता हूँ । खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-3 में सात संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना संशोधन मूव करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री संजय सरावगी : मैं मूव करूंगा । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खण्ड-3 के उपखंड (1) की चौथी पंक्ति के अंक "2011-12" के स्थान पर अंक "2014-2015" प्रतिस्थापित किया जाय। ''

महोदय, बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2016, एक अच्छा विधेयक है, हमलोग भी इसका स्वागत करते हैं, बहुत दिन से व्यवसायियों की मांग थी, लेकिन महोदय यह जो वन टाईम सट्लमेंट स्कीम लाया जा रहा है, यह जब व्यापारियों के हित में नहीं होगा तब तक जो भी जिस रूप से विवाद है, समाधान सरकार भी चाहती है और बिहार के व्यवसायी भी चाहते हैं, जो-जो, जहां-जहां ट्रिबुनल में या जहां भी जो मामला है, लेकिन सरकार कह रही है कि 2011-12 तक के मामले को ही लेंगे- क्यों अध्यक्ष महोदय । 2014-15 जो पिछला वित्तीय वर्ष है, तब तक लेना चाहिए जो बिहार के सभी

व्यापारियों में जहां-जहां मामले हैं, ट्रिबुनल में हो या जहां-जहां विवाद में हो, वे सभी मामले सलट जाते, अब तो तीन साल का विवाद रह जायेगा, इसलिए मेरा संशोधन है कि 2011-12 के स्थान पर 2014-15 प्रतिस्थापित किया जाय । 2014-15 तक के जो भी विवाद है, सभी विवाद सलट जाते इसमें क्या दिक्कत है सरकार को, सरकार इसको प्रतिष्ठा नहीं बनावे महोदय, यह अच्छा विधेयक है, मैंने पूर्व में कहा, लेकिन 2014-15 तक का विवाद है वह सभी विवाद इसमें आ जाय तो समस्या क्या है सरकार को -सरकार इसको प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाये । 2014-15 के सभी मामले इसमें ले लिया जाय महोदय, यही कहना है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खण्ड-3 के उपखंड (1) की चौथी पंक्ति के अंक "2011-12" के स्थान पर अंक "2014-2015" प्रतिस्थापित किया जाय।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना अगला संशोधन मूव करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री संजय सरावगी : मूव करेंगे । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''विधेयक के खण्ड-3 के तालिका-1 के क्रम संख्या-2 के स्तम्भ 2 में उल्लिखित शब्द समूह " रूपये 10,00,000(दस लाख) से अनधिक हो" को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, यह जो तालिका है, यह जब बिहार वित्त अधिनियम, 1981 था 2005 के पहले तब के विवाद से संबंधित है महोदय और इसमें प्रपत्र 9 सी और 9 में दाखिल नहीं किये जाने के कारण विवाद का मामला है और महोदय सरकार ने सट्लमेंट की राशि 10 प्रतिशत तय की है कि जो भी एमाउन्ट होगा उसका हम 10 प्रतिशत लेंगे लेकिन महोदय, इसमें सरकार कह रही है कि दस लाख से अनधिक, यानी दस लाख तक का ही दस प्रतिशत लिया जायेगा- क्यों अध्यक्ष महोदय । जो भी राशि है, तब तो व्यापारी नहीं आयेंगे इस सट्लमेंट स्कीम में क्योंकि बहुत ज्यादा, फिर कर का दायरा बढ़ेगा, सट्लमेंट स्कीम का दायरा बढ़ेगा । इसलिए महोदय स्लैब बनाया गया है, मेरा यह कहना है कि जो

भी विवाद की राशि हो और सरकार का प्रस्ताव है दस प्रतिशत तो बिहार के व्यवसायी इसको मानते हैं कि ठीक है दस प्रतिशत हम देंगे लेकिन एक करोड़ होगा तो दस लाख देंगे, दस लाख होगा तो एक लाख देंगे तो इसमें राशि जो बढ़ाया गया है महोदय, सरकार का प्रस्ताव है हम दस प्रतिशत देंगे और बिहार के व्यापारी भी दस प्रतिशत मानने के लिए तैयार हैं लेकिन महोदय इसको दस लाख से कम कर दिया गया, दस लाख तक किया गया, दस लाख से ऊपर स्लैब बढ़ा दिया गया इसलिए मेरा प्रस्ताव है महोदय, सट्लमेंट स्कीम सरकार बना रही है विवाद के समाधान के लिए और विवाद रह जायेगा इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इसको दस प्रतिशत रहने दिया जाय, लेकिन जो भी राशि है वह सभी राशि पर दस प्रतिशत किया जाय- यह मेरा सरकार से अनुरोध होगा और माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध होगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खण्ड-3 के तालिका-1 के क्रम संख्या-2 के स्तम्भ 2 में उल्लिखित शब्द समूह " रूपये 10,00,000(दस लाख) से अनधिक हो" को विलोपित किया जाय ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना अगला संशोधन मूव करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री संजय सरावगी : मूव करेंगे । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

''कि विधेयक के खण्ड-3 के तालिका-1 के क्रम संख्या-3 के स्तम्भ 2 एवं 3 तथा क्रम संख्या-4 के स्तम्भ 2 एवं 3 को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, वही मामला है, सरकार कह रही है और यह महोदय बिहार वित्त अधिनियम, 1981 खत्म हो गया, यह 2005 के पहले अधिनियम था और सरकार कह रही है दस लाख से ऊपर का हम 25 प्रतिशत लेंगे और उसके बाद जो है हम चालीस प्रतिशत लेंगे । महोदय, कोई लाभ नहीं होगा, सरकार जो वन टाईम सट्लमेंट स्कीम ला रही है, मैं फिर वही बात दुहरा रहा हूँ, जो भी राशि बिहार वित्त अधिनियम 1981 में फार्म 9 सी. और प्रपत्र-9 - यह

बिहार के अन्दर के टैक्स का मामला है इसलिए सरकार को मानने में कोई समस्या नहीं है और सभी विवाद समाधान हो जाते हैं महोदय, इसलिए मेरा यह कहना है कि खंड-2 को रहने दिया जाय और खंड-3 एवं 4 को विलोपित करके और जो भी एमाउन्ट है उस पर सरकार दस प्रतिशत, उसको हमलोग मानने को तैयार है महोदय, इसलिए 3 और 4 को विलोपित किया जाय।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खण्ड-3 के तालिका-1 के क्रम संख्या-3 के स्तम्भ 2 एवं 3 तथा क्रम संख्या-4 के स्तम्भ 2 एवं 3 को विलोपित किया जाय ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना अगला संशोधन मूव करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री संजय सरावगी : मूव करेंगे । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खण्ड-3 के तालिका-।। के क्रम संख्या-1 के स्तम्भ 2 में उल्लिखित शब्द समूह " रूपये 10,00,000(दस लाख) से अनधिक" को विलोपित किया जाय तथा स्तम्भ 3 में अंकित शब्द समूह " तीस प्रतिशत" के स्थान पर "बीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, यह तालिका-।। जो वैट ऐक्ट 2005 से लागू हुआ, उसके विवाद का मामला है महोदय, और सरकार कह रही है कि जो भी विवादित बकाया है उसका तीस प्रतिशत, महोदय ट्रिपुल तो पॅनाल्टि ही लगता है, फाईन लगता है ट्रिपुल और जो मूल कर है उसका, इसको तीस प्रतिशत सरकार कह रही है महोदय, यह किसी भी रूप में उचित नहीं है महोदय, सट्लमेंट ऊपर वाले में बिहार वित्त अधिनियम में दस प्रतिशत और वैट ऐक्ट में तीस प्रतिशत यह किसी भी हालत में न्यायोचित नहीं है और इससे विवादों का समाधान नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा फिर मामला लंबित रह जायेगा इसलिए मेरा यह कहना है कि तीस प्रतिशत को बीस प्रतिशत कर दिया जाय और दस लाख

अनधिक को हटा कर जो भी राशि है उस पर बीस प्रतिशत जो है रखा जाय- यह मैं माननीय मंत्री और सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

''कि विधेयक के खण्ड-3 के तालिका-।। के क्रम संख्या-1 के स्तम्भ 2 में उल्लिखित शब्द समूह " रूपये 10,00,000(दस लाख) से अनधिक" को विलोपित किया जाय तथा स्तम्भ 3 में अंकित शब्द समूह " तीस प्रतिशत" के स्थान पर "बीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाय ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

टर्न-18-31-03-2016-ज्योति

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी क्या अपना अगला संशोधन मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी: मूव करेंगे ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खण्ड-3 के तालिका-।। के क्रम संख्या -2 के स्तम्भ 2 एवं 3 तथा क्रम संख्या -3 के स्तम्भ 2 एवं 3 को विलोपित किया जाय ।''

अध्यक्ष महोदय, जो तालिका-। में है वही तालिका -।। में है वैट ऐक्ट का मामला है और इसमें सरकार कह रही है 10 लाख से ऊपर पर, विवादित कर 29 लाख रुपया या जो भी है अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जो भी एमाउन्ट है, उसपर 20 प्रतिशत सरकार को वन टाईम सेट्लमेंट स्कीम में मानना चाहिए । सरकार इसको प्रतिष्ठा का इशु नहीं बनावे । माननीय मंत्री जी भी जन प्रतिनिधि हैं । यह सरकारी पदाधिकारियों द्वारा लायी गयी यह तालिका है, किसी भी हालत में सरकार चाहती है इसको लाने का प्रयोजन, वह प्रयोजन सिद्ध किसी भी हालत में नहीं होगा, बहुत ज्यादा एमाउंट है, फिर वही विवाद रह जायेगा , लोग कोर्ट में रहेंगे, ट्रिब्यूनल में जायेंगे । इसलिए 3 और 4 को

विलोपित किया जाय और 20 प्रतिशत को ही मान्य किया जाय और इसको पुराने जैसा रहने दिया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खण्ड-3 के तालिका-।। के क्रम संख्या -2 के स्तम्भ 2 एवं 3 तथा क्रम संख्या -3 के स्तम्भ 2 एवं 3 को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना अगला संशोधन मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खण्ड-3 के तालिका -।। में एक नया मद निम्न प्रकार जोड़ा जाय :

'' बिहार राज्य के अन्दर निबंधित व्यवसायियों के क्रय-विक्रय से संबंधित विवाद-समाधान राशि विवादित बकाया कर राशि का दस प्रतिशत । ''

अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा कहना यह है कि जैसे बिहार के अंदर तो वैट ऐक्ट के अंतर्गत खरीद बिक्री किए हैं । यह जो सरकार लायी है बिहार वित्त अधिनियम 1981 उसमें 10 प्रतिशत है, तो जो बिहार के अंदर वैट ऐक्ट के अंतर्गत बिहार के अन्दर क्रय-विक्रय हुआ था तो फर्स्ट प्वायंट पर वैट का टैक्स लग गया लेकिन कोई मानवीय भूल या तकनीकी भूल के कारण पदाधिकारियों द्वारा कर की शक्ति अधिरोपित कर दी गयी उसमें तो वैट का पेमेंट हो गया क्योंकि यह बिहार राज्य के अतर्गत खरीद बिक्री का मामला है इसीलिए 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत का कोई औचित्यय नहीं है क्योंकि इसमें तो वैट का पेमेंट व्यापारी कर चुके हैं और राज्य के अंदर का खरीद बिक्री का मामला है । यह मानवीय भूल या तकनीकी भूल के कारण टैक्स को अधिरोपित कर दिया गया इसलिए 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत किसी भी हालत में भुगतान नहीं होगा । इसलिए 10 प्रतिशत रखा जाय, मेरा यही प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खण्ड-3 के तालिका -।। में एक नया मद निम्न प्रकार जोड़ा जाय :

बिहार राज्य के अन्दर निबंधित व्यवसायियों के क्रय-विक्रय से संबंधित विवाद-समाधान राशि विवादित बकाया कर राशि का दस प्रतिशत । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य संजय सरावगी क्या अपना अगला संशोधन मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : मूव करेंगे । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खण्ड-3 के स्पष्टीकरण -।। के चौथी पंक्ति के शब्द ''नहीं'' को विलोपित किया जाय । ''

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह कहना है कि जिसपर फाईन किया गया और जिन्होंने भुगतान कर दिया, वन टाईम सेट्लमेंट स्कीम के अंतर्गत अगर उनका पैसा निकलेगा तो सरकार उसको वापस नहीं करेगी । यह सरासर अन्याय है । जो व्यापारी आपको टैक्स दे दिया और आपने फाईन किया, उसका भुगतान कर दिया, तब अगर वन टाईम सेट्लमेंट स्कीम के अंतर्गत वह ट्रिब्यूनल में है या कोर्ट में है और उसने भुगतान कर दिया है और दूसरे का आप मान रहे हैं, उससे लीजियेगा और जो ज्यादा भुगतान कर दिया , उसको वापस क्यों नहीं मिलेगा इसलिए 'नहीं' को हटाया जाये जो भी राशि विवाद की है और उसमें अगर ज्यादा दे दिया तो उसका पैसा वापस होना चाहिए, यह मेरा कहना है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खण्ड-3 के स्पष्टीकरण -।। के चौथी पंक्ति के शब्द ''नहीं'' को विलोपित किया जाय । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड–3 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड–3 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड–4 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड–4 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड–4 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड–5 में एक संशोधन है क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ।

(मा0 सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड–5 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड–5 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड–1 में एक संशोधन है, क्या माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी अपना संशोधन मूव करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री संजय सरावगी : मूव करेंगे । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खण्ड–1 के उपखंड (3) के प्रथम पंक्ति के शब्द समूह '' तीन माह '' के स्थान पर शब्द समूह '' एक वर्ष'' प्रतिस्थापित किया जाय । ''

अध्यक्ष महोदय, कोई भी सेट्लमेंट स्कीम तीन महीने के लिए नहीं आती है । यह जो करारोपन विधेयक है बिहार कराधान विवाद समाधान संशोधन विधेयक, 2016 वह मात्र तीन महीने के लिए प्रावधान किया गया है । कागज पत्र निकालना, फार्म भरना तीन महीना तो कब बीत जायेगा पता भी नहीं चलेगा इसलिए मेरा कहना है कि कम से कम एक साल के लिए किया जाय । तीन महीना के लिए लाने का क्या औचित्य है । तीन महीने का कोई औचित्य नहीं है इसलिए मेरा यह कहना है सरकार से और उसको सर्टिफायड कॉपी कोर्ट

से निकालना पड़ेगा, सब जगह से कागज निकालना पड़ेगा, लम्बा चौड़ा फार्म है तो तीन महीना के लिए लाने का क्या औचित्य है ? यह व्यापारियों के साथ धोखा है कि तीन महीना के लिए ला भी दिए और नहीं भी लाये । इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसको कम से कम एक साल के लिए सरकार लावे, यही मेरा अनुरोध होगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खण्ड-1 के उपखंड (3) के प्रथम पंक्ति के शब्द समूह '' तीन माह '' के स्थान पर शब्द समूह '' एक वर्ष'' प्रतिस्थापित किया जाय । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड -1 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रस्तावना में एक संशोधन है, क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : मूव करेंगे । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के प्रस्तावना की सातवीं पंक्ति के अंक '' 2011-12'' के स्थान पर अंक '' 2014-15'' प्रतिस्थापित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, इस कानून में 14-15 तक जो विवाद है उसको सम्मिलित किया जाय इसपर सरकार और मंत्री जी प्रतिष्ठा का इशू नहीं बनावें । यह विधेयक आया है, करारोपन के समाधान के लिए, न कि केवल व्यापारियों को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए इसलिए फिर वही रह जायेगा इसलिए 14-15 जो है प्रतिस्थापित किया जाय, 14-15 तक के सभी विवादों का इसमें शामिल किया जाय।

टर्न-19/विजय/ 31.03.16

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि,

"विधेयक के प्रस्तावना की सातवीं पंक्ति के अंक "2011-12" के स्थान पर अंक "2014-15" प्रतिस्थापित किया जाय ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादवः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

" बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2016" स्वीकृत हो ।

अध्यक्षः कोई माननीय सदस्य कुछ बोलना चाहते हैं ?

माननीय नेता, प्रतिपक्ष ।

श्री प्रेम कुमारः महोदय, बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2016 सरकार ने पेश किया है । सरकार का जो उद्देश्य है कि जनहित में जो प्रॉबलम है समस्यायें हैं उसका समाधान हो । हमारे माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी जी ने काफी मेहनत कर और सहयोग की दृष्टिकोण से हमलोगों का उद्देश्य है कि बिल पास न हो हम चाहते हैं कि बिल पास हो लेकिन माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी ने प्रथम मे कहा कि विधेयक के खंड-3 के उपखंड (1) की चौथी पंक्ति के अंक " 2011-12" के स्थान पर अंक "2014-15"

प्रतिस्थापित किया जाय सहित महोदय और 8 संशोधन इन्होंने दिया है । हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी का जो उद्देश्य है सरकार का उद्देश्य है कि जनहित में सरकार कदम उठा रही है इसका एक अच्छा परिणाम आएगा हम आग्रह करेंगे आप संशोधन को स्वीकार करते हुए सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास करवाइये ।

अध्यक्ष: और कोई माननीय सदस्य कुछ विचार रखना चाहते हों ?

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्यकर विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, यह विधेयक पहले भी लाया गया था लेकिन उस समय में महोदय चुनाव होने के कारण ठीक से प्रसारित और परिचारित नहीं किया गया । दूसरी बात कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जब व्यापारियों की एक बैठक हुई थी तो लोगों ने मांग की थी कि लंबे समय से मामले मुकदमें में चल रहे हैं समाधान का कोई रास्ता नहीं है इसलिए सरकार इसको एक वन टाइम सेट्लमेंट की स्कीम ला दे । माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि सरकार आपलोगों की समस्याओं से भिज्ञ है हमलोग इस पर कोई न कोई प्रयास करेंगे । इसी के परिप्रेक्ष्य में इसको लाया गया था । तो महोदय उसी को फिर से रिपीट किया गया है इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है । एक करोड़ तक के जो डिसप्युट है रिजनल आधार पर ही पहले एक ही उस विधेयक में था कि केवल पर ही उसका अपील करना था और डिस्प्युट को सेट्लमेंट की स्थिति थी । अब रिजनल आधार पर इसको किया गया है छोटे व्यापारियों के लिए जो एक करोड़ तक का मामला डिसप्युटेड हो रिजनल आधार पर भी यह निर्णय किया जाएगा । और जो उंचे मामले हैं जो हाईकोर्ट वगैरह में लंबित मामले हैं ये वहीं पर रहेंगे । जहां तक आपने समय का कहा कि विधेयक में प्रावधान है कि तीन महीने के लिए और सरकार अगर चाहे तो तीन महीना और इसको बढ़ाया जा सकता है । अब सरावगी जी अकेले इसका विरोध कई एक संशोधन के साथ अब व्यक्तिगत समस्यायें बहुत हो सकती हैं ।

श्री संजय सरावगी: आपको राय दे रहे थे ।

(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव: व्यक्तिगत मामले अपनी परेशानी के मामले से सरकार यहां कोई निर्णय नहीं लेगी सरकार सामूहिक निर्णय लेती है पूरे राज्य के हित को देखते हुए कानून सम्मत निर्णय जो व्यवहारिक हो सकता है वह निर्णय करती

है। व्यक्तिगत मामले अपने अलग अलग हो सकते हैं कई एक लोगों के इंडीविजुअल मामले होते हैं । इंडीविजुअल का रिप्रजेंटेशन सरावगी जी कर रहे थे मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है । लेकिन एक बात और है महोदय इसको तो खासकर भारतीय जनता पार्टी को इसको मेज थपथपा कर स्वागत करना चाहिए कि सरकार ने इस विधेयक को लाया । लेकिन कई एक तरह का फितूल आगे भी कोई समस्यायें होंगी तो देखेंगे, जो सुझाव इनके हैं इसमे जो व्यवहारिक परेशानियां होंगी उसको आगे देखा जायगा फिलहाल इसको मैं अपील करूंगा कि इसको पारित करने की कृपा की जाय।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2016" स्वीकृत हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2016 स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 31 मार्च, 2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-31 (इकत्तीस) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रील, 2016 को 9.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....